सर्व शिक्षा अभियान

जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

जिला योजना

2002–2010

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC. No ....

विषय सूची

अध्याय 1 : जिला परिदृश्य

अध्याय 2 : जिले का शैक्षिक परिदृश्य

अध्याय 3 : नियोजन प्रक्रिया

अध्याय 4 : सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

अध्याय 5 : पहुँच, नामांकन एवं ठहराव

अध्याय 6 : गुणात्मक शिक्षा

अध्याय 7 : विशिष्ट फोकस ग्रुप

अध्याय 8 : अनुसंधान मूल्यांकन एवं प्रबोधन

अध्याय 9 : प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

अध्याय 10 : निर्माण कार्य

अध्याय 11 : योजना लागत

अध्याय 12 : वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2002-03

संलग्नक :

1 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने वाले विद्यालयों की सूची

2 वैकल्पिक विद्यालयों से प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने वाले विद्यालयों की सूची

3 विकास खण्ड वार प्रस्तावित पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों की सूची

4 कम्प्यूटर शिक्षा के लिए प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

5 आवासीय ब्रिज कोर्सों की खण्डवार सूची

6 उपचारात्मक शिक्षण हेतु ब्लॉक वार विद्यालयों की संख्या

7 6-14 वर्ष के बच्चों की 2010 तक अनुमानित संख्या एवं कक्षा कक्ष और अध्यापकों की आवश्यकता

8 क्रियान्वन की वर्ष वार योजना

जिला श्री गंगानगर एक नजर में .....

1	**Population**		
		Male	955027
		Female	833460
		Total	1788487
2	**SC Population**		
		Male	316530
		Female	278545
		Total	595075
3	**ST Population**		
		Male	2774
		Female	2440
		Total	5214
4	**Minority**		0.30%
5	**Area**		1115468 Hectare
			126443.02 Sq. Kms.
6	**Decimal Growth**		27.53
7	**Literacy Rate**		64.84%
		Male	75.49%
		Female	52.69%
		Rural	60.39%
		Urban	77.60%
8	**Population Density**		127 per sq. km.
9	**Tyemperature**		Min 4 degree C Max. 49 degree C
10	**Agricultural Area**		202757 Hac.
11	**Panchyat Samities**		7
12	**Tehsils**		9
13	**Urban & Towns**		10
14	**Municipal Boards**		10 (Ward 213)
15	**Gram Panchayat**		320 (Ward 3422)
16	**Total Village**		3014
		(1) Inhabited	2739
		(b) Unhabitated	275
17	**Hospital & Dispensaries**		253
18	**Primary Health Centre**		60
19	**Registered Factories**		3390
20	**Post office & Telegram offices**		693
21	**Total School**		2244
		Govt.Primary School	1142
		RGSJP	360
		Upper Primary School	435
		Secondry School	92
		Sr. Secondry School	46
		DIET	1
		ITI	3
		A.S	165

अध्याय-1
जिला परिदृश्य

अध्याय – 1

जिला परिदृश्य

1,1 भूमिका :

किसी भी क्षेत्र में किसी कार्यक्रम या परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, संस्थागत, जलवायु एवं उपलब्ध कृत्रिम एवं प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है।

यह अध्याय श्रीगंगानगर जिले की आधारभूत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ–साथ जिले की सरंचना, भौगोलिक एवं जलवायु, प्रशासनिक ढांचा तथा जनसंख्या विवरण एवं घनत्व का विस्तृत उल्लेख करता है। व्यावसायिक संरचना, कृषि के तरीके एवं साधनों के साथ जिले की आर्थिक स्थिति का उल्लेख भी समाचीन तरीके से किया गया है। साथ ही आधारभूत सुविधाएं तथा जल, स्वास्थय, यातायात व संचार के साधनों इकाई का भी उल्लेख किया गया है।

अन्त में राज्य एवं केन्द्र सरकारी द्वारा संचालित शैक्षिक परिदृश्य के सम्बन्ध में विभिन्न विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

श्रीगंगानगर जिले का नाम इसके मुख्यालय से लिया गया है जो अपने आप में भूतपूर्व बीकानेर के शासक महाराजा गंगासिंह के नाम से जाना गया, जिनके सद्प्रयासों से इस जिले की प्यासी और शुष्क भूमि में गंगनहर का आगमन हुआ। पुरात्तवीय विशेषज्ञों जैसे डॉ. एल.पी. टेसीटोरी और डॉ. बैनर्जी द्वारा किए गए खुदाई और अन्वेशन इस बात का प्रमाण हैं कि यहां सिन्धुघाटी सभ्यता फली–फूली है। हड़प्पा व मोहनाजोदड़ों की तरह यहां भी कालीबंगा हड़प्पा व मोहनजोदड़ों की तरह यहां भी कालीबंगा (अब हनुमानगढ़ में) सिन्धु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जिले में घग्घर और इसकी सहायक नदियों के किनारे, कालीबंगा, रंगमहल, करणीसर, भद्रकाली व भटनेर में अनेक टीले, पक्की ईंटों के भट्टों आदि के अवशेष प्राप्त हुए है।

एक अनुमान के अनुसार वैदिक युग में यहां आर्यों का वास बताया गया है क्योंकि सरस्वती (आधुनिक घग्घर) उनकी सर्वाधिक पवित्र नदियों में रही थी। आधुनिक युग में यह माना जाता है कि गंगानगर जिला कहलाए जाने वाले क्षेत्र का अधिकतर भाग आयुध जीवी के प्रभुत्व में रहा था। बहुत से स्थानों से प्राप्त मिट्टी से बनी सीलें व सिक्के निकाले गए हैं जो उनके क्षेत्र की सीमा को दिखाने में आकस्मिक तौर पर सहायता करते हैं। इतिहासकारों की राय में मौर्यों व कुशाणों ने भी इस क्षेत्र में शासन किया है, गुप्तवंशज हर्षवर्धन द्वारा भी इस क्षेत्र में शासन करने के अनुमान लगाए गए हैं।

मध्यकालीन युग में चौहान शासक पृथ्वीराज का भी भूतपूर्व बीकानेर रियासत का शासक रहा। 12वीं शताब्दी की छतरियों व चट्टानों पर खुदे शिलालेखों से यह बात प्रमाणित होती है। भट्नेर दुर्ग भी इस बात का गवाह है।

वर्तमान गंगानगर जिले के नाम ज्ञात भूभाग भूतपूर्व बीकानेर रियासत का हिस्सा चल रहा है। भूतपूर्व बीकानेर रियासत वृहतर राजस्थान के संयुक्त राज्य के रूप में शामिल हुई। भूवपूर्व बीकानेर रियासत के अन्य भागों सहित गंगानगर रियासत का संग नए राजस्थान राज्य का हिस्सा बना। इस प्रकार 30 मार्च 1949 को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ श्रीगंगानगर जिले का उद्गम हुआ। जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ तहसीले अस्तित्व में थी।

प्रारम्भ में 1961–71 के दौरान तीन नई तहसीलें सादुलशहर, संगरिया व टिब्बी (संगरिया व टिब्बी अब हनुमानगढ़ जिले में) अस्तित्व में आई। 1981–91 के दशक में चार नई तहसीलों विजयनगर, घड़साना व अनूपगढ़ की स्थापना की गई, अन्तिम रावतसर की स्थापना नोहर के 315 गांवों से हुआ। 19 में हनुमानगढ़ जिले के गठन के साथ ही संगरिया, भादरा, नोहर, रावतसर, टीवी व पीलाबंगा का हनुमानगढ़ जिले में विलय कर दिया गया।

नगरीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में 1951 की जनगणना में जिले में ग्यारह कस्बे यथा सूरतगढ़, नोहर, भादरा, गंगानगर, हनुमानगढ़, करनपुर, संगरिया, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, गजसिंहपुर व हिन्दुमलकोट थे। बाद में 1961 की जनगणना में हिन्दूमलकोट को अवर्गीकृत कर दिया गया। 1971 में सादुलशहर कस्बे को नगरपालिका कस्बे में जोड़ा गया। पदमपुर जो जनगणना कस्बा था को भी

नगरपालिका कस्बे में भामिल कर लिया गया। इसी प्रकार विजयनगर, केसरीसिंहपुर, पीलीबंगा व रावतसर 1981 में कस्बे बने।

राज्य में 1959 में पंचायतीराज के प्रादुर्भाव के साथ ही दस पंचवर्षीय समितियों की स्थापना की गई परन्तु हनुमानगढ़ जिले के अलग हो जाने के कारण वर्तमान में कुल 7 पंचायत समितियों अस्तित्व में हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का संचालन करती हैं।

पंचायत समिति वार क्षेत्र का विवरण इस प्रकार हैं :

क्रम संख्या	पंचायत समिति का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टयर में)
1	श्रीगंगानगर	87500
2	श्रीकरनपुर	81751
3	सादुलशहर	89923
4	पदमपुर	84745
5	रायसिंहनगर	131982
6	सूरतगढ़	284392
7	अनूपगढ़	355159
	श्रीगंगानगर का सम्पूर्ण क्षेत्रफल	1115468

स्त्रोत : टीएलसी, 1997

1.3 भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु :

यह जिला राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित 28.4 और 30.6 व 72.30 एवं 75.30 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह दक्षिण में चुरू व बीकानेर जिलों द्वारा तथा उत्तर पूर्व में हनुमानगढ़, पंजाब व हरियाणा द्वारा एवं उत्तरी पश्चिम में पाकिस्तान के बहावलपुर जिले द्वारा सीमित है। जिले की उत्तरी सीमा पाकिस्तान से लगने के कारण यह जिला सामरिक दृष्टि से भी महत्वूर्ण है।

जिले का अधिकांश भाग जलोद व रेतीले धोरों से आच्छादित एक मैदानी भाग है। पश्चिम का तरफ ढालुआं भूमि है। बालू के बड़े–बड़े टीले जिनकी

उंचाई 10–15 मीटर है, पाए जाते हैं। घड़साना, बिजयनगर, अनूपगढ़ व सूरतगढ़ बिरानी क्षेत्र में अधिकतर धोरे ही धोरे हैं।

जिले में कोई महत्वपूर्ण पहाड़ी नहीं है तथापि सूखी सरस्वती नदी के किनारे के भूभाग भूतल से उपर ऊठे हुए है। जिले का उत्तरी हिस्सा दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में तुलनात्मक रूप से हरियाली से अच्छी तरह से आच्छादित है। जिले की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 168 से 227 मीटर के मध्य है।

घग्घर नदी (स्थानीय भाषा में नाली) स्वल्प आयु है और इसका मार्ग हनुमानगढ़ (अब अलग जिला) के समीप उत्तरपूर्व से दक्षिण पश्चिम (सूरतगढ़ तहसील) की तरफ रहता है। मानसून में कई बार बाढ़ भी आ जाती है। जिले में दो मुख्य सिंचाई नहरें गंगनहर व राजस्थान नहर है एवं इन्हीं नहरों के कारण जिले में पेयजल व कृषि सिंचाई की पूर्ति हो रही है।

बाढ़ के पानी का सदुपयोग व पानी को बेकार हो जाने से रोकने हेतु विभिन्न जल मार्ग बनाए गए हैं। जिसके कारण सेम की आकृति मे कुछ परिवर्तन आया है।

जिले की जलवायु तापक्रम में काफी भिन्नता है। शीत ऋतु नवम्बर से प्रारम्भ होती है और मार्च तक बनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु का समय अप्रैल से जून तक होता हैं। जुलाई से मध्य सितम्बर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय होता है। गंगानगर केन्द्र पर न्यूनतम तापमान 100 सेन्टीग्रेट तक पहुंच जाता है व अधिकतम तापमान गर्मियों में 470 सेन्टीग्रेट तक हो जाता है।

इस प्रकार यहां गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी व सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी पड़ती है।

1.4 सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य :

जिले में सिक्ख, हिन्दू, मुसलमान व ईसाई के विभिन्न जातियों के लोग निवास करते है। वस्तुतः सिक्ख व हिन्दू धर्म के लोगों की संख्या अधिक है। पंजाब राज्य की सीमा लगने के कारण पंजाबी संस्कृति का प्रभाव अधिक है। लोग

विभिन्न देवी–देवताओं की पूजा करते हैं। मनोरंजन के साधनों में लोकनृत्य व ड्रामें तथा विविध प्रकार के अंदरूनी खेलों का बाहुल्य है।

इस क्षेत्र में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। प्रचलित नृत्यों में डांडिया, रास नृत्य, घूमर, भागड़ा व गिद्दा उल्लेखनीय है।

जिले में लोकपर्व एवं लोक देवताओं के लगने वाले मेलों में श्रीगंगानगर में गणगौर मेला, रायसिंहनगर में बुढड़ा जोहड़ मेला, सूरतगढ़ में हनुमान जी का मेला उल्लेखनीय है। जिले में लगने वाले मेलों में अन्य मेले निम्नांकित हैं :

जिले में लगने वाले अन्य मेलों में सूरतगढ़ में हनुमानजी का मेला, रायसिंहनगर में शहीद बीरबल सिंह का मेला, बिजयनगर में डाडा पम्माराम का मेला, श्रीगंगानगर में विजयादशमी का मेला तथा पदमपुर, करणपुर और सादुलशहर में पशु मेला प्रमुख है।

जिले में सिक्ख सम्प्रदाय के लोगों के बाहुल्य के कारण गुरूनानक देव व दसवें गुरू गुरूगोविन्द सिंह के जन्मदिन बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं। हिन्दुओं के त्यौहारों में होली, दीपावली, दशहरा, गणगौर, शीतला अष्टमी, अक्षयातृतीया, दुर्गाष्टमी व मकर संक्रान्ति प्रमुख है। इसी तरह मुसलमानों के बारावफात, रब–ए–बारात, रमजान, मौहरम, इदुलफितर व इदुलजुहा प्रमुखता से मनाए जाते हैं।

श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 210788 है। गंगनहर के आगमन से पूर्व यह एक छोटा सा ग्राम था जो कि भूतपूर्व बीकानेर रियासत में मिर्जेवाला तहसील का एक छोटा गाँव रामनगर के नाम से जाना जाता था। 1927 में गंगनहर के आगमन के पश्चात यहां एक मण्डी बनी एवं महाराजा गंगासिंह के नाम के पीछे इसका नाम गंगानगर पड़ा।

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और प्रसार (गंगनहर, भाखड़ा व इन्दिरा गाँधी नहर) के कारण न केवल कस्बाई क्षेत्रों में प्रगति हुई है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी प्रगति हुई है। जिले में हर किसान अच्छी मेहनत करता है और परिणामस्वरूप उत्पादन भी अच्छा होता है।

जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 33.28 है जो राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा सर्वाधिक है एवं इस वर्ग के पास स्वयं की भूमि नहीं है। अतः इस वर्ग का

मुख्य पेशा मेहनत मजदूरी करना ही हैं। सिक्खों व जाटों के पास स्वयं की भूमि होने के कारण काश्तकारी का कार्य या तो स्वयं करते हैं या ठेके पर दे देते हैं।

जिले की करनपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, गंगानगर व अनूपगढ़ तथा सादुलशहर में बड़े स्तर की अनाज मण्डियां अस्तित्व में हैं। श्रीबिजयनगर, घड़साना एवं रावला में भी नहर आ जाने के कारण अच्छी मण्डियां स्थापित हो चुकी हैं।

जिले में गन्ना की पैदावार के कारण शुगर मिल व नरमा कपास की अच्छी फसलों के कारण कॉटन मिलें प्रसिद्ध हैं अन्य उद्योग–धन्धे भी बहुतायत से प्रचलित हैं। गंगानगर शहर के आसपास बहुत से फलोधान लगाए गए हैं जो लाल किस्म की मालटा के लिए प्रसिद्ध हैं। जिले का सूरतगढ़ शहर जिले के दक्षिणी हिस्से पर घग्गर नदी के किनारे पर बसा हैं। कस्बे के नजदीक 1956 में रूस की सहायता से केन्द्रीय कृषि फार्म की स्थापना की गई है। जहां यांत्रिक तरीके से कृषि सम्बन्धी कार्य किए जाते हैं।

1.5 खनिज सम्पदा व सिंचाई :

गंगानगर जिला खनिज सम्पदा की दृष्टि से पीछे है, केवल थोड़ी बहुत मात्रा में जिप्सम का खनन होता है। जिप्सम यहां सूरतगढ़, किशनपुरा, देसूरी, रघुनाथपुरा एवं ढाढर में पाई जाती है। जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है।

सिंचाई की दृष्टि से गंगानगर जिला सौभाग्यशाली है जो भूमि मानसून पर निर्भर थी। यहां गंगनहर जिसकी लम्बाई 137 कि.मी. है एवं इन्दिरा गांधी नहर सिंचाई के प्रमुख स्त्रोत हैं एवं इससे बीकानेर, गंगानगर व जैसलमेर में 60 लाख हैक्टयर में सिंचाई की जाती हैं। इसके अलावा कुछ भाग पर भाखड़ा नहर में भी सिंचाई होती है।

1.6 व्यावसायिक स्वरूप :

जिले में पुराने समय में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण व्यावसायिक दृष्टि से कमजोर जिला माना जाता था परन्तु जब से गंग कैनाल, इन्दिरा गाँधी नहर एवं भाखड़ा आदि का प्रादुर्भाव हुआ, व्यावसायिक दृष्टि से उन्नत

स्त्रोत बनता गया। मुख्य रूप से गंगानगर जनपद में निम्नांकित व्यवसायों में निरन्तर प्रगति हुई हैं :

1.6–1	कृषि एवं सिंचाई
1.6–2	उद्योग एवं व्यापार तथा श्रम
1.6–3	सिंचाई
1.6–4	पशुधन
1.6–5	खनिज
1.6–6	वाणिज्य
1.6–7	शिक्षा
1.6–8	चिकित्सा एवं जन स्वास्थय
1.6–9	परिवहन एवं संचार
1.6–10	विद्युत एवं शक्ति

जिले में कृषि कार्य में दो प्रकार की जनशक्ति कार्य करती है। प्रथम व जो स्वयं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा भू–स्वामी हैं एवं स्वयं काश्तकारी करते हैं, दूसरे वे जो स्वयं भूधारी या भूस्वामी नहीं हैं एवं खातेदार की जमीन पर हिस्से या बंटवारे पर काम करते हैं। यह कृषि श्रमिक वर्ग है।

काश्तकारों के निम्नलिखित वर्ग हैं :

(क) काश्तकार या खातेदार

(ख) मालिक

(ग) खुद काश्तकार

(घ) गैर खातेदार या काश्तकार

खेती में प्रमुख रूप से व्यावसायिक फसलों के रूप में सिंचित क्षेत्र में गन्ने की खेती अधिक की जाती है। खाद्य फसलों में गेंहू व चना बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। असिंचित भूमि में खरीफ की फसलें यथा बाजरा, जौ, ग्वार बोया जाता है।

1.6–2 उद्योग व्यापार एवं श्रम :

पुराने समय में जिला औद्योगिक दृष्टि से विकसित नहीं था क्योंकि यह क्षेत्र नदियों, नहरों, यातायात के साधनों, संदेशवाहन व अन्य विकासात्मक साधनों से वंचित था परन्तु अब गंगनहर, भाखड़ा व इन्दिरा गाँधी नहर के आगमन व रेल लाइनों के विस्तार से राज्य के औद्योगिक नक्शे में जिले का महत्वपूर्ण स्थान है।

यह जिला औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां कॉटन मिल, तेल मिल, दाल मिल, चावल मिल, डॉक्टरी रूई मिल, पीवीसी पाईप मिल, खाद्य सरंक्षण ब्रेड, मक्खन, बिस्कुट का यहां प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त लकड़ी और स्टील के फर्नीचर पॉलीथीन बैग, आर्युवेदिक और ऐलोपैथिक दवाईयां, कोल्ड स्टोर इत्यादि प्रमुख सरकारी एवं निजी सार्वजनिक उपक्रम हैं। चुकन्दर से चीनी बनाने का कारखाना भी यहां अस्तित्व में रहा है। जिले में घग्घर नदी से 32 कृत्रिम झीलों में पानी मिलता है इसलिए मछली पालन व्यवसाय भी फल–फूल रहा है।

जिले में कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक विवरण इस प्रकार है :

जिले में अन्य कुटिर उद्योगों का भी समान रूप से महत्व है। भीट, कैटल, सीमेन्ट उत्पाद, देशी जूतियां, कृषि उपकरण, साबुन, मिट्टी के बर्तन, तेल धानियां, सुनारगिरी, भेड़ पालन, मुर्गीपालन आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

वर्ष 1962 में जिले में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निगम लिमिटेड द्वारा सूरतगढ़, अनूपगढ़, पदमपुर, घड़साना, रावला, सादुलशहर में औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए गए हैं। इन विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ हैं।

1.6–3 वाणिज्य :

जिले में निर्यात की मुख्य वस्तुएं गेहूं, चना, कपास, गन्ना, सूती वस्त्र, सूत और रेशम, इमारती लकड़ी, चमड़े की वस्तुएं इत्यादि हैं। जबकि सीमेन्ट, बांस, वनस्पति तेल, प्लास्टिक एवं प्लास्टिक वस्तुएं, चाय, कॉफी आदि आयात की जाती हैं।

जिले में गंगानगर, करनपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, केसरीसिंहपुर, गजसिंहपुर तथा बिजयनगर, सूरतगढ़, घड़साना, रावला व अनूपगढ़ में कृषि उपज मंडियां हैं।

1.6–4 शिक्षा :

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय जिले के गंगानगर, नोहर व भादरा और संगरिया प्रत्येक में हाई स्कूल होने के साथ–साथ श्रीगंगानगर मैं एक इन्टरमीडियट महाविद्यालय भी था। स्वतन्त्रता पश्चात शिक्षा सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है। नए कॉलेज एवं विद्यालय खोले गए हैं।

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	उपखण्ड	6
2.	ब्लॉक	9
3.	तहसील	9
4.	गाँव	3014
5.	आबादी गाँव	2739
6.	पंचायत	320
7.	शहरी क्षेत्र	10
8.	पंचायतों में कुल वार्ड संख्या	3422
9.	शहरी क्षेत्र में कुल वार्ड संख्या	213

1.7 प्रशासनिक ढांचा :

प्रशासनिक दृष्टि से श्रीगंगानगर जिला 6 उपखण्डों श्रीगंगानगर, करनपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ व घड़साना में विभक्त किया गया है। विकास की दृष्टि से जिले को 7 खण्डों में विभक्त किया गया है। जिसमें श्रीगंगानगर, सादुलशहर, करनपुर, पदमपुर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ एवं रायसिंहनगर सम्मिलित हैं।

जिले में 320 ग्राम पंचायतें, 9 तहसीलें व 10 नगरपालिका क्षेत्र व 3014 राजस्व ग्राम अस्तित्व में हैं। कुल राजस्व ग्रामों में 275 गाँव गैर आबाद है एवं शेष आबाद हैं। इसे निम्न तालिका द्वारा में स्पष्ट किया गया है :

1.8 जनसांख्यिकी :

भारत की जनगणना 2001 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1788487 है जिसमें से 955027 पुरूष जनसंख्या एवं 833460 स्त्री जनंसख्या निवास करती है। जिले में पुरूष महिला अनुपात 1000 : 865 है जो 2001 की जनगणना में बढ़कर 1000 : 873 हो गया है। 0–6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात जिले का 909, ग्रामीण का 914 व शहरी का 886 है। जनगणना 2001 के अनुसार ग्रामीण व शहरी का लिंगानुपात 332 व 890 है। नगरीय जनसंख्या 452080 है। जिले में औसतन जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 27.53 प्रतिशत है, साथ ही कुल जनसंख्या के 33.28 अनुसूचित जाति व 0.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं।

(अ) जनसंख्या वृद्धि :

जिले की 1991 की कुल जनसंख्या 1402444 थी जो 2001 में बढ़कर 1788487 हो चुकी है। इस प्रकार 2866043 की वृद्धि अंकित की गई है। जिसे निम्नानुसार तालिका में स्पष्ट किया गया है :

(ब) ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या :

जनगणना 2001 के अनुसार जिले में कुल जनसंख्या के 1336407 ग्रामीण व 452080 शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की संख्या कुल का 25.28 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 74.72 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं। जिसे निम्नानुसार तालिका में स्पष्ट किया गया है :

(स) जातिवार जनसंख्या :

राज्य के श्रीगंगानगर जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहां जनगणना 1991 के आकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के 33.28 पुरूष व स्त्री जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की संख्या श्रीगंगानगर में बहुत कम है। तालिका में इसका विवरण इस प्रकार है :

1.9 जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाएं :

जैसा कि श्रीगंगानगर जिला एक सीमान्त क्षेत्र है अतः विभिन्न प्रकार की विकास योजनाएं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाएं जैसे जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, आई.आई.डी.पी., दवाकरा, इकाई विभिन्न योजनाएं यहां संचालित की गई हैं। गरीबी उन्मूलन केन्द्रीय योजनान्तर्गत कार्यक्रम हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सकल उत्पाद वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया इस सोच के साथ दिया गया कि उत्पादन बढ़ने से गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जिले में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया। लोगों विशेषकर वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम व योजनाएं जिले में संचालित हैं।

निर्धारित कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गरीबों एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए संचालित किए जा रहे हैं।

1.9–1 जवाहर रोजगार योजना :

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 1985 से जिले में संचालित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार एवं अन्य महिला–पुरूषों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम के उद्देश्य :

- बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ कर रोजगार को बढ़ावा देना।
- सामाजिल मूल्यों का निर्माण करना।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्रत्यक्ष रूप में लाभ के अवसर प्रदान करना।

1.9–2 इन्दिरा आवास योजना :

इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति, बन्धुआ मजदूरों एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए निःशुल्क आवास गृहों की सुविधा प्रदान की जाती हैं।

योजना में निम्नांकित प्राथमिकताएं तय की गई हैं एवं उन्हें निःशुल्क आवास गृह प्रदान कराए जाते हैं।

- बन्धुआ मजदूर
- अनुसूचित जाति व जनजाति के शोषित परिवार
- अनुसूचित जाति व जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार।
- अनुसूचित जावि व जनजाति के बाढ़, भूकम्प एवं प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार।
- इस योजना से सम्बंधित परिवारों को 16000 रूपये गृह निर्माण तथा 1500 रूपये शौचालयों एवं मूत्रालयों के निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं।

1.9–3 इन्दिरा आवास योजना :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को पहचान कर उन्हें आर्थिक सुदृढ़ीकरण प्रदान करना है। इस योजना में चिहिन्त परिवारों को बैंक से ऋण आदि की सुविधा मुहैया कराकर उन्हें कार्य या व्यवसाय से जोड़ना है, साथ ही इस योजना में ऋण आदि की सुविधा लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों एवं कृषि मजदूरों को भी प्रदान की जाती है।

1.9–4 दवाकरा :

यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। इसमें सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक स्कीम में महिलाओं को 40 प्रतिशत लाभ प्रदान किया जाता है ताकि वे विकास की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन सकें। इसमें 10–15 महिलाओं का एक समूह होता है जिन्हें विभिन्न एजेन्सियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। समूह छोटे–छोटे घरेलू उत्पाद तैयार करते हैं। इसके साथ वह कुटिर उद्योगों का संचालन भी करती हैं।

1.9–5 जीवन धारा योजना :

यह योजना जे. आर. वाई. के अधीन संचालित हैं। इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए कुएं निःशुल्क बनाए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत सामग्री एवं श्रम का अनुपात 60 : 40 होना चाहिए। यह योजना निम्नांकित को कृषि कार्य में लाभ पहुंचाने के लिए हैं :

- स्वतन्त्र कराए गए बंधुआ मजदूर
- लघु एवं सीमान्त कृषक (अनुसूचित जाति / जनजाति)
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों
- प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवार

1.9–6 सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम :

सीमान्त क्षेत्र होने के कारण गंगानगर जिले में यह कार्यक्रम 1986–87 से इस उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया कि सीमान्त क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस योजना के तहत अन्तर्राश्ट्रीय सीमा पर 50 कि.मी. के क्षेत्र में विकास कार्य करवाए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत निम्नांकित कार्य सम्मिलित किए गए हैं :

- ❖ पटवारघरों, पुलिस पोस्ट व उपतहसील कार्यालयों एवं गृहों का निर्माण
- ❖ सीमान्त क्षेत्र में सड़क निर्माण
- ❖ विद्यालय भवनों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, सार्वजनिक शिक्षा एवं संचार केन्द्रों का निर्माण
- ❖ नये विघालयों को खोलना एवं अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण का भी प्रावधान हो
- ❖ सीमान्त क्षेत्रों में विद्युत के वैकल्पिक स्त्रोत जैसे सौर उर्जा शक्ति इत्यादि की व्यवस्था
- ❖ इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक पेयजल, पशु चिकित्सा एवं स्वास्थय सुविधाओं के विस्तार का भी प्रावधान है।

1.9–7 अपना गांव अपना काम योजना :

इस योजना को इस उद्देश्य के साथ लागू किया गया है कि गांवों में लोगों में सार्वजनिक कार्यों के प्रति अपनत्व की भावना तैयार हो। इस योजना में किसी भी विकास कार्य में जनसहयोग आवश्यक है 30 प्रतिशत स्वप्रेरणा से गांव के लोग संग्रह करते हैं एवं शेष 70 प्रतिशत की व्यवस्था सरकार करती है।

इस योजना के तहत निम्नांकित कार्य करवाए जाते हैं :

- ❖ सड़क निर्माण
- ❖ विद्यालय भवनों का निर्माण
- ❖ कक्षा–कक्षों का निर्माण

- ❖ सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को निर्माण
- ❖ छात्रावासों का निर्माण
- ❖ पेयजल कुंओं का निर्माण
- ❖ शौचालयों एवं मूत्रालयों का निर्माण
- ❖ पंचायत घरों का निर्माण

इन योजनाओं के अतिरिक्त कई अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं एवं राज्य / केन्द्र सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत विकास कार्य कराए जाते हैं। साथ ही डी.आर.डी.ए. के माध्यम से एम.एल.ए. एवं एम.पी. कोटे के तहत भी विकास कार्य वृहत स्तर पर कराए जा रहे हैं।

पंचायत समितिवार पिछले 5 वर्षों में विद्यालयों में कक्षा–कक्षों एवं अन्य निर्माण की स्थिति को निम्न तालिका में दिखाया गया है :

अध्याय-2
शैक्षिक परिदृश्य

अध्याय – 2

जिले का शैक्षिक परिदृश्य

यह अध्याय जिले का दो सौ वर्षो से लेकर आज तक की शैक्षिक यात्रा का चित्रण प्रस्तुत करता है । इसमें जिले की साक्षरता, शैक्षिक स्तर, शैक्षिक सुविधाएं, नामांकन ठहराव एवं संक्रमण दर आदि का भी उल्लेख किया गया है ।

भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का भी आंकलन इसी अध्याय में किया गया है ।

2.1 जिले के शैक्षिक विकास का इतिहास :

बीकानेर रियासत के महाराज डूंगर सिंह ने 1884 में प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ शैक्षिक सुधार एवं विकास के अनेक कार्य किए । 1906 तक जिले में 8 विद्यालयों की स्थापना की गई । 1906 के बाद 1927 में नई शिक्षा पद्धति का शुभारम्भ किया गया । 1927 में गंगनहर के प्रादुर्भाव के साथ ही गंगानगर में अंग्रेजी मिडिल स्कूल की स्थापना से शैक्षिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई । 1928–29 में शिक्षा के महत्व को समझते हुए कानून द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया । महिला शिक्षा के लिए 1931 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 1934 में आर्य प्राथमिक पाठशाला का सृजन किया गया । इसी के साथ–साथ 1938 में हाई स्कूल, 1942 में कन्या पाठशाला, 1945 में राज. कन्या पाठशाला व 1946 में गोवर्नमेंट इन्टर कॉलेज की स्थापना की गई । इस प्रकार जिले में शिक्षा का क्रमिक विकास हुआ है ।

शैक्षिक स्थिति को दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता से पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित थी जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक था ।

पुरानी प्रथाओं, पर्दा प्रथा, बाल–विवाह एवं बालिकाओं की शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच के कारण शिक्षा सीमित लोगों तक ही सीमित रही । शिक्षा की

पहुँच स्वतंत्रता से पूर्व केवल राजा–महाराजाओं एवं शाही तथा बड़े जमींदार परिवारों तक ही

रहीं । स्वतंत्रता के पश्चात इस पर विशेष ध्यान दिया गया एवं सर्वप्रथम कन्या हाई स्कूल को महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया गया । प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1951 में बिहाणी हाई स्कूल व 1959 में डिग्री कॉलेज अस्तित्व में आई । इस क्षेत्र में चौधरी हरीशचन्द्र व स्वामी केशवानंद का उल्लेखनीय सहयोग रहा एवं उनके सदप्रयोग से संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ कृषि महाविद्यालय की स्थाना की गई जिसकी प्रसिद्ध चारों और फैली ।

जिले के सरकारी शैक्षिक संस्थाओं का भी महत्व शैक्षिक विस्तार में निरन्तर बढ़ता गया ।

इसी समय स्वामी केशवानंद द्वारा स्थापित कृषि महाविद्यालय संगरिया, खालसा स्कूल, डी.ए.वी. स्कूल श्री गुरूनानक स्कूल, कॉलेज एवं महिलाओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, श्री गंगानगर व कृषि महाविद्यालय गजसिंहपुर ने शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । शैक्षिक विस्तार में श्री गंगानगर के भामाशाहों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

सम्प्रति जिले में 12 डिग्री कॉलेज, 1 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, 1 कृषि महाविद्यालय, 76 सीनियर सैकण्डरी स्कूल, 186 सैकण्डरी स्कूल, 1252 प्राथमिक तथा 812 उच्च प्राथमिक विद्यालय है । बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे जगदम्बा अन्धता निवारण समिति ईकाई द्वारा विकलांग (मूक बधिर) की शिक्षा के लिए भी गंभीरता से शिक्षा प्रसार का कार्य किया जा रहा है। इस संस्थान ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है ।

2.2 साक्षरता दर :

जिले की साक्षरता दर सम्प्रति जनगणना 2001 के अनुसार 64.84 प्रतिशत है जबकि 1991 में यह 44.45 प्रतिशत थी । इसमें स्त्री साक्षरता का अनुपात 2001 में 52.69 प्रतिशत है जबकि 1991 में यह अनुपात 30.07 प्रतिशत था। यदि जिले की तुलना राष्ट्रीय साक्षरता दर से की जाए तो यह 0.54 प्रतिशत कम है, परन्तु स्टेट

की तुलना करने पर 3.81 प्रतिशत अधिक है । जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति की साक्षरता न्यून है । पूर्व दशक में जिले में स्त्री–पुरूष साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	ग्रामीण			शहरी			कुल योग		
		योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला
1	गंगानगर	81.02	87.90	72.74	63.54	75.00	50.80	72.83	81.97	62.23
2	सादुशहर	72.15	81.81	61.33	63.44	75.83	48.76	64.80	76.74	50.77
3	पदमपुर	75.54	82.55	67.75	63.03	74.49	50.58	65.30	75.96	53.66
4	करनपुर	74.00	83.02	63.93	61.49	71.96	49.94	64.60	74.73	53.41
5	सूरतगढ	73.15	82.21	62.78	53.58	64.65	40.06	58.01	68.53	45.34
6	रायसिंहनगर	79.28	87.12	70.07	65.34	76.66	53.13	67.48	78.32	55.63
7	अनूपगढ	72.54	80.18	63.62	57.24	69.17	44.06	59.90	71.13	47.38
8	घडसाना	74.49	83.10	64.60	57.62	70.90	42.72	58.70	71.69	44.09
9	श्रीबिजयनगर	73.60	82.59	63.38	61.21	72.69	48.30	63.01	74.13	50.48

स्त्रोत : जनगणना 2001

2.3 शैक्षिक सुविधाएं :

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात श्री गंगानगर जिले में शैक्षिक सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है । सम्प्रति जिले में 1551 प्राथमिक स्तर के राजकीय विद्यालय एवं 435 उच्च प्राथमिक स्तर के प्राथमिक विद्यालय व 379 उच्च स्तर के विद्यालय संचालन में है । जिले में 138 सरकारी, सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी तथा 124 प्राईवेट, सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालय अस्तित्व में है । इस प्रकार देखा जाए तो उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं का अनुपात लगभग बराबर है ।

(अ) औपचारिक विद्यालय :

स्त्रोत डी.पी.ई.पी. 2001–02

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्राथमिक विद्यालय	रा.गा. स्व.ज. पाठ	उच्च प्रा.वि.	शिक्षाकर्मी	संस्कृत	योग
1	गंगानगर	132	37	83			252
2	सादुलशहर	63	14	49		1	126
3	श्री करनपुर	150	15	48		1	213
4	पदमपुर	139	14	43		2	196
5	रायसिंहनगर	104	31	61	8	1	205
6	सूरतगढ़	183	102	50	12		347
7	अनूपगढ	128	44	35	2		209
8	घड़साना	120	37	33	2		192
9	बिजयनगर	109	61	33	4		207

(ब) अनौपचारिक /वैकल्पिक शिक्षा :

जिले में संचालित जिला प्राथमिक कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक विद्यालय एवं मदरसा शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनका विवरण इस प्रकार हैं

विद्यालय का प्रकार	संख्या	नामांकन		
		छात्र	छात्रा	योग
वैकल्पिक विद्यालय	165	1695	1646	3341
मदरसा वैकल्पिक विद्यालय	11	373	362	735
प्रहर पाठशाला				
ई.जी.एस.				
शिक्षा मित्र				

स्त्रोत डी.पी.ई.पी. 2001–02

(स) उच्च अध्ययन के शिक्षण संस्थान :

संस्थान का नाम	सरकारी	प्राईवेट	योग
माध्यमिक विद्यालय	92	94	186
उच्च माध्यमिक विद्यालय	46	30	76
स्नातक महाविद्यालय	1	5	6
अधि. स्नातक महाविद्यालय	2	4	6
डाईट	1		1
बी.एड. महाविद्यालय		1	1
उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान			0
अभियांत्रिक महाविद्यालय	1		1
चिकित्सा महाविद्यालय			0
विश्वविद्यालय			0
आई.टी.आई.	3		3
कृषि और फॉर्मेसी महाविद्यालय		1	1
केन्द्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	8		8

स्त्रोत डी.पी.ई.पी. 2001–02

2.4 नामांकन :

जिले में पिछले दशक केउतरार्द्ध से विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं एंव साक्षरता कार्यक्रमों के आगमन एवं प्रचार–प्रसार के कार्यक्रमों से भौतिक सुविधाओं के विस्तार के साथ नामांकन में भी तीव्र गति से प्रगति हुई है। अनामांकित कामकाजी बच्चों एवं वंचित बालिकाओं की शिक्षा के लिए वैकल्पिक शालाएं एवं शिक्षा केन्द्रों की स्थापना से भी वृद्धि हुई है। जिले का जातिवार, कक्षावार, प्रबन्धवार, विद्यालयवार एवं आयुवर्गानुसार कुल नामांकन निम्न तालिकाओं में स्पष्ट किया गया है :

(अ) कक्षावार नामांकन कक्षा 1 से 8 :

क्र. स.	ब्लॉक का नाम	कक्षा 1			कक्षा 2			कक्षा 3			कक्षा 4			कक्षा 5			कक्षा 6			कक्षा 7			कक्षा 8			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	गंगानगर	10092	8440	18532	5511	4818	10329	4568	3880	8448	3902	3357	7259	3607	3102	6709	3164	2570	5734	2649	2147	4796	2641	1913	4554	36134	30227	66361
2	सादुलशहर	3783	3370	7153	2206	2042	4248	1939	1592	3531	1654	1469	3123	1588	1318	2906	1106	786	1892	959	597	1556	840	482	1322	14075	11656	25731
3	पदमपुर	4432	3860	8292	2512	2321	4833	2199	1675	3874	1920	1614	3534	1624	1415	3039	1276	925	2201	1084	743	1827	1050	607	1657	16097	13160	29257
4	करनपुर	4880	4060	8940	2174	1721	3895	1733	1350	3083	1491	1132	2623	1328	1084	2412	760	617	1377	609	508	1117	490	418	908	13465	10890	24355
5	सूरतगढ़	6294	5380	11674	4447	3600	8047	3746	3162	6908	2816	2395	5211	2484	1819	4303	1656	1047	2703	1246	784	2030	1050	610	1660	23739	18797	42536
6	रायसिंहनगर	7441	6320	13761	4729	4110	8839	3250	2950	6200	2670	2418	5088	2277	2055	4332	1805	1434	3239	1465	1259	2724	1150	884	2034	24787	21430	46217
7	अनूपगढ़	4992	4310	9302	3042	2611	5653	2461	1954	4415	2036	1686	3722	1775	1395	3170	1426	893	2319	1192	676	1868	1130	577	1707	18054	14102	32156
8	घड़साना	4857	4460	9317	2700	2375	5075	2232	1868	4100	1843	1466	3309	1686	1217	2903	1521	797	2318	1189	617	1806	1100	529	1629	17128	13329	30457
9	श्री बिजयनगर	4212	3660	7872	2484	2069	4553	1961	1590	3551	1646	1225	2871	1398	1062	2460	1221	690	1911	1066	573	1639	1010	468	1478	14998	11337	26335
10	मा./उच्च मा. राज.																2771	2240	5011	2457	2043	4500	2600	2131	4731	7828	6414	14242
11	मा./उच्च मा. निजी																2697	1764	4461	2645	1748	4393	3300	1434	4734	8642	4946	13588
	योग	50983	43860	94843	29805	25667	55472	24089	20021	44110	19978	16762	36740	17767	14467	32234	19403	13763	33166	16561	11695	28256	16361	10053	26414	194947	156288	351235

(ब) जातिवार नामांकन :

सं.	ब्लॉक का नाम	एस.सी.			एस.टी.			अन्य			कुल		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	गंगानगर	10753	9179	19932	66	25	91	25274	21032	46306	36093	30236	66329
2	सादुलशहर	5372	4375	9747	35	25	60	8675	7264	15939	14082	11664	25746
3	करनपुर	5471	4611	10082	11	7	18	10621	8550	19171	16103	13168	29271
4	पदमपुर	6997	5887	12884	25	15	40	6443	4997	11440	13465	10899	24364
5	रायसिंहनगर	7929	6204	14133	207	190	397	15612	12412	28024	23748	18806	42554
7	अनूपगढ	8666	6608	15274	65	42	107	9320	7459	16779	18051	14109	32160
8	बिजयनगर	7619	5850	13469	112	82	194	9406	7403	16809	17137	13335	30472
9	घडसाना	6550	4842	11392	100	89	189	8354	6347	14701	15004	11278	26282
	कुल	59357	47556	106913	621	475	1096	93705	75464	169169	153683	123495	277178

(स) प्रबन्धनवार नामांकन :

क्र. सं.	प्रबन्ध	कक्षा 1			कक्षा 2			कक्षा 3			कक्षा 4			कक्षा 5			कक्षा 6			कक्षा 7			कक्षा 8			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	राजकीय स्कूल	36018	33218	69236	20706	19007	39713	15713	14099	29812	12652	11071	23723	10326	9137	19463	9620	7299	16919	7985	5793	13778	7097	4965	12062	120117	104589	224706
2	निजी स्कूल	15100	10616	25716	9337	6844	16181	8357	6017	14374	7198	5624	12822	7215	5144	12359	9783	6464	16247	8576	5902	14478	9264	5088	14352	74830	51699	126529
	योग	51118	43834	94952	30043	25851	55894	24070	20116	44186	19850	16695	36545	17541	14281	31822	19403	13763	33166	16561	11695	28256	16361	10053	26414	194947	156288	351235

(द) विद्यालयवार नामांकन कक्षा 1 से 8

क्र.स.	विद्यालय का प्रकार	कक्षा 1 से 5			कक्षा 6 से 8			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	50038	46420	96458			0	50038	46420	96458
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	32459	29131	61590	16823	11591	28414	49282	40722	90004
3	रा.गा.स्व.ज.पा.	9176	7574	16750			0	9176	7574	16750
4	अन्य विद्यालय	3742	3407	7149	50	52	102	3792	3459	7251
5	मा.एव उ.मा.विद्यालय			0			0			0
	योग	95415	86532	181947	16873	11643	28516	112288	98175	210463

(य) आयुवर्गानुसार नामांकन कक्षा 1 से 8

क्र.स.	आयु (वर्ष में)	कक्षा 1 से 5			कक्षा 6 से 8			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	6 से कम	28416	24269	52685			0	28416	24269	52685
2	6 से 10	114256	96508	210764			0	114256	96508	210764
3	11 से 14			0	51843	35115	86958	51843	35115	86958
4	14 से अधिक			0	482	396	878	482	396	878
				0		0				0
	योग	142672	120705	263449	52325	35511	87836	194997	156288	351285

2.5 अनामांकित बच्चों का विवरण :–

विभिन्न प्रयासों के बाद भी जिले में 3646 बालक एवं 4913 बालिकाएं शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं । जिले में कुल 6–14 आयु वर्ग के 229962 व 118600 बालक–बालिकाओं में से 6–14 आयु वर्ग के 8559 बालक–बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं । जिले में 6–11 आयु वर्ग के बच्चों का सकल नामांकन अनुपात 97.35 प्रतिशत पाया गया है । जबकि 6–14 आयु वर्ग का कुल शुद्ध नामांकन अनुपात 97.42 प्रतिशत पाया गया है ।

Name of Block	No. of Children 6-11 age Group			No. of Children 11-14 age Group			Out of 6-11 age Group			Out of 11-14 age Group			No. of Children 6-11 age Group Percentage			No. of Children 11-14 age Group Percentage		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
Sri Ganganagar	21259	18257	**39516**	12222	10119	**22341**	231	406	**637**	115	202	**317**	1.08	2.22	**1.61**	0.94	1.99	**1.41**
Sadulshahar	10849	9310	**20159**	6416	5315	**11731**	127	136	**263**	63	69	**132**	1.17	1.46	**1.3**	0.98	1.29	**1.12**
Padampur	10796	8727	**19523**	4472	3659	**8131**	203	131	**334**	101	65	**166**	2.62	3.34	**2.95**	2.12	2.63	**2.35**
Karanpur	9022	7483	**16505**	5553	4711	**10264**	237	250	**487**	118	124	**242**	1.88	1.5	**1.71**	2.25	1.77	**2.04**
Suratgarh	17816	15359	**33175**	9627	7370	**16997**	141	373	**514**	70	187	**257**	1.75	1.17	**1.49**	1.97	3.08	**2.45**
Raisinghnagar	13595	11356	**24951**	5971	4477	**10448**	238	134	**372**	118	138	**256**	0.79	2.09	**1.54**	0.72	2.53	**2.45**
Anoopgarh	10593	9232	**19825**	6120	4640	**10760**	418	599	**1017**	207	300	**507**	3.94	6.48	**5.12**	3.38	6.46	**4.71**
Gharsana	9895	8332	**18227**	5188	4444	**9632**	537	615	**1152**	315	410	**725**	2.66	5.76	**4.13**	1.5	3.92	**2.48**
Sri Bijaynagar	11293	10132	**21425**	7054	4837	**11891**	301	584	**885**	106	190	**296**	5.42	7.38	**6.32**	6.07	9.22	**7.52**
Total	**115118**	**98188**	**213306**	**62623**	**49572**	**112195**	**2433**	**3228**	**5661**	**1213**	**1685**	**2898**	**2.11**	**3.28**	**2.65**	**1.93**	**3.39**	**2.58**

2.6 सकल नमांकन अनुपात

क्र. स.	ब्लॉक का नाम	जनसंख्या 6–14			नामांकन कक्षा 1 से 8			सकल नामांकन अनुपात		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	गंगानगर	33481	28376	**61857**	36093	30236	**66329**	107.80	106.55	107.23
2	पदमपुर	17265	14625	**31890**	14082	11664	**25746**	81.564	79.75	80.734
3	रायसिंहनगर	15268	12386	**27654**	16103	13168	**29271**	105.469	106.31	105.847
4	अनपूगढ़	14575	12194	**26769**	13465	10899	**24364**	92.384	89.38	91.016
5	सादुलशहर	27443	22729	**50172**	23748	18806	**42554**	86.536	82.74	84.816
6	सूरतगढ़	19566	15833	**35399**	24788	21438	**46226**	126.689	135.40	130.586
7	करनपुर	16713	13872	**30585**	18056	14104	**32160**	108.036	101.67	105.150
8	विजयगनर	15083	12776	**27859**	17137	13335	**30472**	113.618	104.38	109.379
9	घड़साना	18347	14969	**33316**	15004	11278	**26282**	81.779	75.34	78.887
					16471	11330	**27801**			
	योग	**177741**	**147760**	**325501**	**194947**	**156258**	**351205**	**109.68**	**105.75**	**107.90**

स्त्रोत डी.पी.ई.पी. 2001–02

वर्तमान में जिले का सकल नामांकन अनुपात 107.90 प्रतिशत है ।

2.7 ठहराव दर :–

सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1994–95 में 634.54 नामांकित बालक–बालिकाओं में से 26414 कक्षा 8 उतीर्ण कर पाए । इस प्रकार लड़कों में ठहराव दर 40.92 एवं बालिकाओं में ठहराव दर 42.82 प्रतिशत पाई गई ।

जिले में सुनियोजित तरीके से चलाए गए शिक्षा अभियानों (प्रवेशोत्सव) शैक्षिक परियोजनाओं के आदि के अभिनव प्रयोगों के कारण ठहराव दर में वृद्धि हुई है ।

राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों के वितरण एवं 3 किलो प्रतिमाह गेहूँ के वितरण के कारण भी ठहराव दर के निरन्तर हुई है । परन्तु फिर भी गरीबी, मौसमी, पलायन एवं विद्यालयो के अनाकर्षक वातावरण इत्यादि के कारण ड्राप आउट अधिक होने के कारण ठहराव दर को संतोषजनक नहीं माना जा सकता ।

Enrollment in Class I 1994-95			**Enrollment in Class VIII 2001-02**			**Retention Rate**		
B	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**
39978	23476	**63454**	16361	10053	**26414**	40.92	42.82	**41.87**

स्त्रोत डी.पी.ई.पी. 2001–02

(अ) संक्रमण दर :–

जिले में वर्ष 2000–2001 में कक्षा 1 में कुल 205235 बालक व बालिकाएं राजकीय विद्यालयों में नामांकित थे । इनमें से कक्षा 1 में 77653 में से 40091 कक्षा 2 में, कक्षा 2 में 33943 में बालक–बालिकाओं में से 31233 कक्षा 3 में इसी प्रकार 25895 में से 23500 में से, कक्षा 4 के 20503 में से 19703 इसी प्रकार कक्षा 7 के 9000 बालक–बालिकाओं में से 7303 8वी. कक्षा में पहुँचे । यह संक्रमण दर कक्षा 1 से 2 में सबसे कम है । कक्षा 1 मे जो बालक–बालिकाएं प्रवेश लेते हैं उनमें से दूसरे वर्ष भी अधिकांश बच्चों को कक्षा प्रथम में ही रख लिया जाता है । इसका मुख्य कारण कक्षा प्रथम में छोटी उम्र में बच्चों को प्रवेश लेना पाया गया है । कम उम्र में प्रवेश के कारण उनकी सीखने की गति कम होती है और बच्चे दूसरे या तीसरे वर्ष कक्षा 2 में पहुँच पाते है ।

Enrollment	Class							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Year 2000-01	77673	33943	25895	20503	18469	11900	9000	7852
Year 2001-02		44091	31231	23500	19703	11858	9253	7303
दर		53.80	92.00	90.80	96.10	64.20	77.80	81.10

स्त्रोत डी.पी.ई.पी. 2001–02

(ब) पुनरावृति दर

	Class							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
गतवर्ष का नामांकन	77673	33943	25895	20503	18469	11900	9000	7852
उत्तीर्ण	44091	31231	23500	19703	11858	9253	7303	6360
वर्ष में कुल रिपिटर्स	33582	2712	2395	800	6611	2647	1697	1492
पुनरावृत्ति दर	**43.24**	**7.99**	**9.25**	**3.90**	**35.80**	**22.24**	**18.86**	**19.00**

अध्यापकों का विवरण :–

जिले में 1182 प्राथमिक विद्यालय है तथा 435 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 5250 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं इसके विरूद्ध 4366 अध्यापक कार्यरत हैं एवं 884 पद रिक्त हैं । राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशालाओं में 360 पदों के विरूद्ध इतने ही पैराटीचर कार्यरत हैं ।

जिले में विद्यालय वार एवं संख्यावार अध्यापकीय पदों का विवरण सलंग्न तालिकाओं में स्पष्ट किया गया हैं ।

ब्लॉक का नाम	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्रा. विद्यालय			रा.गा.स्व.ज. पाठशाला			शिक्षाकर्मी			संस्कृत			योग		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
गंगानगर	126	236	362	98	245	343	22	2	24					5	5	246	488	734
सादुलशहर	115	74	189	166	45	211	9	4	13					16	16	290	139	429
पदमपुर	256	124	380	100	59	159	11	5	16					11	11	367	199	566
करनपुर	166	132	298	133	107	240	8	7	15					1	1	307	247	554
सूरतगढ	174	79	253	159	54	213	112	3	115	16		16		1	1	461	137	598
रायसिंहनगर	277	119	396	179	76	255	30	3	33	16		16			0	502	198	700
अनूपगढ	531	129	660	375	49	424	38	8	46	4		4		2	2	948	188	1136
घडसाना							54	5	59	8		8		2	2	62	7	69
बिजयनगर							34	3	37	3		3		2	2	37	5	42
योग	1645	893	2538	1210	635	1845	318	40	358	47	0	47	0	40	40	3220	1608	4828

स्त्रोत डी.पी.ई.पी. 2001–02

अध्यापकों का संख्यावार विवरण :–

जिले में प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अनेक विद्यालयों में एकल अध्यापक ही कार्यरत है । ब्लॉक वार स्थिति सलंग्न तालिका से स्पष्ट की गई है ।

अध्यापकों का संख्या विवरण

विद्यालय	1 अध्यापक	2 अध्यापक	3 अध्यापक	4 अध्यापक	5 अध्यापक	6 अध्यापक	7 अध्यापक	8 अध्यापक	9 अध्यापक
प्राथमिक	373	587	106	40	24	12			
उच्च प्राथमिक	4	9	12	47	94	173	73	27	
रा.गा.पा.	360								
अन्य	22	3	1						
योग	**759**	**599**	**119**	**87**	**118**	**185**	**73**	**27**	**0**

रिक्त पदों का विवरण :

जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 2899 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 2393 अध्यापक कार्यरत हैं । इस प्रकार 506 तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के पद रिक्त हैं । इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालयों में द्वितिय श्रेणी के 86 व तृतीय श्रेणी के 353 पद रिक्त हैं । इस प्रकार जिले में कुल 859 अध्यापकों के पद रिक्त हैं ।

रिक्त पदों का विवरण

ब्लॉक का नाम	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्रा.विद्यालय			रा.गा.स्व.ज.पाठशाला		
	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
गंगानगर	343	339	**4**	492	456	**36**	46	38	**8**
सादुलशहर	185	185	**0**	230	212	**18**	21	14	**7**
पदमपुर	366	318	**48**	221	182	**39**	14	14	-
करनपुर	332	296	**36**	267	240	**27**	15	15	-
सूरतगढ	324	252	**72**	282	201	**81**	122	116	**6**
रायसिंहनगर	**469**	370	**99**	319	268	**51**	47	44	**3**
अनूपगढ	**880**	633	**247**	540	414	**126**	172	159	**13**
घडसाना									
बिजयनगर									
योग	**2899**	**2393**	**506**	**2351**	**1973**	**378**	**437**	**358**	**37**

स्त्रोत डी.पी.ई.पी. 2001–02

2.8 शिक्षार्थी –शिक्षक अनुपात :

जिले में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक–शिक्षार्थी अनुपात 1:37 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह अनुपात 1:28 पाया गया है । शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात की खण्ड वार स्थिति सलंग्न तालिका में दर्शाई गई है ।

शिक्षार्थी–शिक्षक अनुपात

ब्लॉक का नाम	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्रा.विद्यालय			रा.गा.स्व.ज.पाठशाला		
	नामांकन	कार्यरत अध्यापक	टीपीआर	नामांकन	कार्यरत अध्यापक	टीपीआर	नामांकन	कार्यरत अध्यापक	टीपीआर
गंगानगर	13254	326	38	11956	457	24	1089	32	34
सादुलशहर	6914	185	35	7191	725	28	560	13	43
पदमपुर	10669	320	33	4175	181	20	654	14	47
करनपुर	10380	303	32	5137	241	19	614	13	47
सूरतगढ	12542	253	34	8720	206	39	5183	103	50
रायसिंहनगर	12432	388	32	8425	256	29	1578	36	44
अनूपगढ घडसाना बिजयनगर	30267	630	48	15986	413	33	7072	147	48
योग	**96458**	**2405**	**252**	**61590**	**2479**	**192**	**16750**	**358**	**313**

स्त्रोत डी.पी.ई.पी. 2001–02

2.9 विद्यालयों की भौतिक स्थिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं ठहराव तथा गुणवज्ञापूर्ण शिक्षण के लिए आकर्षक विद्यालय भवनों का होना आवश्यक है। जिले में सम्प्रति 31 प्राथमिक विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के पास स्वयं के भवन नहीं हैं। इसी प्रकार 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय भी किराए के भवनों में चल रहे हैं अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संचालित हैं। स्वयं के आनन्ददायी एवं आकर्षक भवन नहीं होने के कारण नामांकन, ठहराव एवं गुणवज्ञापूर्वक शिक्षण पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसी तरह बहुत से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा–कक्ष, बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालयों एवं मूत्रालयों की व्यवस्था न होने के कारण एवं उपर्युक्त चारदीवारी के अभाव में विद्यालयों में सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित शिक्षण किया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अच्छे एवं साफ–सुथरे तथा पर्याप्त सुविधाओं से वंचित सरकारी विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा अभियान चलाकर नामांकन अभिवृद्धि करने के बाद ड्रॉप आउट दर बढ़नी शुरू हो जाती है। अतः पर्याप्त एवं संतोषजनक भौतिक सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक हैं।

2.12 प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा :

प्रारम्भिक शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने, प्रत्येक स्तर की शिक्षा व्यवस्था का विहीत मानदण्डोंनुसार संचालन एवं समन्वयन हेतु एक उपयुक्त प्रशासनिक इकाई का होना आवश्यक है। जिले में जिला खण्ड एवं ग्राम / विद्यालय स्तर पर निम्नानुसार प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया।

स्तर	प्रशासनिक इकाई
जिला	1. जिला प्रमुख – जिला परिषद् (राजनैतिक प्रमुख)
	2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासनिक)
	3. अति. मुख्य कार्यकारी (शैक्षिक प्रशासन)
	अधिकारी कम जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा

खण्ड स्तर

1. विकासी अधिकारी
2. अतिरिक्त विकास अधिकारी कम ज़लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
3. अवर विद्यालय निरीक्षक – 3

ग्राम / विद्यालय स्तर प्रधानाध्यापक

2.14 संचालित भौतिक योजनाएं :

जिले में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के क्षेत्र में कई अन्य योजनाएं संचालित हैं जिनमें निम्नांकित का उल्लेख समीचीन होगा :

2.14–1 शिक्षाकर्मी योजना :

शिक्षाकर्मी योजना इस जिले के रायसिंहनगर व सूरतगढ़ ब्लॉक में 28 विद्यालयों में संचालित है। जिसमें 1026 बालक व 970 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इस योजना में कामकाजी बालक व बालिकाओं के लिए उनकी फुर्सत के अनुसार प्रहर पाठशालाओं का भी संचालन किया जाता है। सम्प्रति जिले में 17 प्रहर पाठशालाएं भी संचालित हैं।

2.14–2 एकीकृत बाल विकास परियोजना :

पूरे जिले में बाल विकास परियोजना संचालित है। इस परियोजना के निम्नांकित उद्देश्य हैं :

1. 0–6 आयुवर्ग के बच्चों के स्वास्थय एवं पोषण स्तर में सुधार करना।
2. उक्त आयुवर्ग के बच्चों के शारारिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में अभिवृद्धिकरना।
3. बच्चों की मृत्यु दर में कमी करने व कुपोषण को दूर करना।
4. माताओं / महिलाओं को स्वास्थय एवं शिक्षा के प्रति जागरूक करना।

5. यात्री महिलाओं को कुपोषण से बचाना एवं स्वास्थय सम्बन्धी जानकारी देना। पोषाहार विवरण का कार्य।

6. 0–6 आयुवर्ग के बच्चों व धात्री महिलाओं के लिए टीकाकरण एवं स्वास्थय जांच में मदद करना। स्वास्थय के प्रति उचित देखभाल के योग्य बनाना।

7. 3–6 आयुवर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, इसके लिए निम्नांकित कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं :

- बच्चों में शारारिक मांसमेशियों का विकास
- बालक–बालिकाओं में भाषाई विकास
- सामाजिक व संवेगात्मक विकास
- नैतिक एवं संज्ञानात्मक विकास

श्रीगंगानगर जिले में 1197 आँगन–बाड़ी केन्द्र संचालित हैं जहां महिलाओं एवं बच्चों को लाभ प्राप्त हो रहा है। आँगन–बाड़ी केन्द्रों की ब्लॉक वार स्थिति संलग्न तालिका में दी गई है। (देखे संलग्न तालिका)

2.14–3 गुरु मित्र योजना :

यह योजना भी जिले में संचालित की गई एवं ब्लॉक वार दो–दो अध्यापकों को डाईट चूनावढ़ में प्रशिक्षण दिया गया परन्तु बाद में योजना का अधिक विस्तार नहीं हो पाया।

2.14–4 मिड–डे मील योजना :

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में संचालित यह योजना पूरे जिले में संचालित है। विद्यालयों में शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव तथा साथ–साथ स्वास्थय स्तर में सुधार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारम्भ की गई है। जिसके कारण

LIBRARY & DOCUMENTATION ...
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No ...
Date ...

विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है, साथ ही ठहराव में भी अभिवृद्धि हुई है। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को मध्याह्न में पका हुआ भोजन (घूघरी) का वितरण किया जाता है। इससे पूर्व प्राथमिक स्तर के 6–11 आयुवर्ग के बच्चों जिनकी उपस्थिति माह में 80 प्रतिशत या ऊपर रहती है उन्हें प्रति बच्चे को 3 किलो गेंहू देने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया था परन्तु सम्प्रति गेंहू की जगह पका भोजन (घूघरी) का वितरण किया जाता है जिसे बच्चे चाव से खाते हैं।

2.14–5 ब्लैक बोर्ड स्कीम :

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं फर्नीचर, उपकरण, शिक्षण सामग्री एवं खेल सामग्री इत्यादि की सुविधा जुटाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना गंगानगर जिले में भी संचालित है। इस योजना के तहत विद्यालयों में आवश्यक उपकरणों, फर्नीचरों इत्यादि की आपूर्ति की जाती है।

2.14–6 डीपीईपी :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण, शत–प्रतिशत ठहराव एवं शत–प्रतिशत गुणवज़ा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से यह योजना संचालित की गई है। जिले के सभी विकास खण्डों में यह योजना संचालित है। इस योजना के निम्नांकित लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं :

- शत–प्रतिशत नामांकन
- शत–प्रतिशत ठहराव
- गुणवज़ापूर्ण शिक्षण
- संस्थागत क्षमताओं का विकास

अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में जिला प्राथमिम शिक्षा कार्यक्रम जिले में 1998 से संचालित हैं।

नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना में ग्राम स्तर पर जनसम्पर्क, बाल मेलों एवं महिला बैठकों का आयोजन किया गया है। प्रत्येक विद्यालय के शाला प्रबन्धन समितियों का गठन किया गया है जो गांव के शैक्षिक विकास में अग्रसर है। शिक्षण को रोचक व आनन्ददायी बनाने हेतु प्राथमिक कक्षाओं के समस्त अध्यापकों को प्रेरध एवं विषयगत प्रशिक्षण दिए गए है। विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए सिविल कार्य का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत भवन विहीन विद्यालयों के लिए नये भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण एवं नल सुविधा इत्यादि मुहैया करवाया जाती है। विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन के लिए संकुल एवं खण्ड स्तर संदर्भ केन्द्रों की स्थापना की गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक बहुआयामी व बहुउद्देश्यी कार्यक्रम है जिसके प्रादुर्भाव से नामांकन एवं ठहराव में तीव्र प्रगति हुई है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परियोजना में वैकल्पिक विद्यालयों, मदरसों एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई है। जिसका ब्लॉक वार विवरण इस प्रकार है : (देखे तालिका)

ठहराव दर

Enrollment in Class I 1994-95			Enrollment in Class VIII 2001-02			Retention Rate		
B	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**
39978	23476	**63454**	16361	10053	**26414**	40.92	42.82	**41.87**

स्रोत डी.पी.ई.पी. सर्वे 2001–02

2.14–7 निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण योजना :

राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना पूरे राज्य में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु कक्षा 1 से 5 के समस्त बालक–बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को भी राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें मुहैया करवाई जाती हैं। इस योजना से भी नामांकन में वृद्धि हुई है।

2.14–8 समाज कल्याण विभाग की छात्रवृति योजना :

अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा विकलांग बालक–बालिकाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती है, परन्तु प्राथमिक स्तर पर केवल विकलांग बच्चों को ही यह छात्रवृति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त जिले में अनुसूचित जाति / जनजाति के बच्चों की शिक्षार्थ 19 छात्रावास हैं जिसका विवरण इस प्रकार है

समाज कल्याण विभाग की छात्रवृति योजना

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	स्थान	स्वीकृत सीटें	लाभार्थी
1	राजकीय छात्रावास(अनु.जाति)	श्रीगंगानगर	92	56
2	राजकीय छात्रावास(अनु.जाति)	जैतसर	25	20
3	राजकीय छात्रावास(अनु.जाति)	गजसिंहपुर	25	20
4	राजकीय छात्रावास(बीकेएम)	गंगानगर	25	15
5	राजकीय छात्रावास(बीकेएम)	रायसिंहनगर	25	25
6	राजकीय छात्रावास(बीकेएम)	सादुलशह	25	20
7	राजकीय छात्रावास(बीकेएम)	365 हैड	25	25
8	राजकीय छात्रावास(डीटी)	करनपुर	35	28
9	राजकीय छात्रावास(डीटी)	मुकलावा	35	35
10	राजकीय छात्रावास(डीटी)	रायसिंहनगर	50	50
11	राजकीय छात्रावास(अनु.जाति)	समेजा कोठी	25	25
12	राजकीय छात्रावास(अनु.जाति)	अनूपगढ	25	25
13	राजकीय छात्रावास(अनु.जाति)	घडसाना	25	25
14	राजकीय छात्रावास(अनु.जाति)	सूरतगढ	25	25
15	राजकीय छात्रावास(अनु.जाति)	गंगानगर	25	25
16	राजकीय छात्रावास(अनु.जाति)	रायसिंहनगर	25	25
17	राजकीय छात्रावास(अनु.जाति)	श्रीबिजयनगर	25	25
18	राजकीय छात्रावास(अनु.जाति)	लालगढ जाटान	25	25
19	राजकीय छात्रावास(अनु.जाति)	रावलामण्डी	25	25

2.14–9 शिक्षा आपके द्वार योजना :

नवम्बर 2001 में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा लागू यह योजना पूरे राज्य में एक साथ शुरू की गई है। इस योजना में शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव हेतु शिक्षा दर्पण 2000 के शैक्षिक सर्वे को आदि दिनांक किया जाकर शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकताओं का आंकलन किया गया हैं।

शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव को नियोजित तरीके से सुनिश्चित करने हेतु राज्य, जिला, खण्ड एवं ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। 0–6 एवं 6–14 आयुवर्ग के बच्चों का (शहरी एवं ग्रामीण) घर–घर जाकर सर्वे किया गया है। आवश्यकतानुसार वैकल्पिक विद्यालय, ब्रिज कोर्स, छात्रावास, शिक्षामित्र केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इस योजना का अनुक्रमण जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तथा खण्ड स्तर पर उपखण्डाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशासन गाँवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग में इस अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई है।

2.14–10 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान :

जिले को सम्पूर्ण साक्षर करने के लिए 1996 में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया है। इस अभियान में 15 से 35 आयुवर्ग के पुरूष–महिलाओं को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के प्रारम्भ के बाद लोगों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच का विकास हुआ है और जीवन के क्षेत्र में उन्हें सोचने का अवसर मिला है।

इस अभियान से 15 से 35 आयुवर्ग के 62280 पुरूष, 103756 महिलाएँ, कुल 165965 लाभान्वित हुए हैं। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान निम्नांकित मामलों में सफल रहा है :

- इससे महिलाओं और घनी आबाद बस्तियों के लोगों में शिक्षा की माँग बढ़ी है। इससे युवा स्वयंसेवक तैयार हुए हैं जिनसे सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है।
- इससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है।
- शिक्षा में विनियोग का वातावरण सृजित हुआ है।
- स्वयंसेवकों के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यक्रमों का आम जन के बीचर अन्तः किया शुरू हुई है।
- अभियान से 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों के नामांकन में भी अभिवृद्धि हुई है।
- अभिभावकों में जागरूकता एवं साक्षरता के प्रसार के कारण नामांकित बच्चों के ठहराव में भी वृद्धि हुई है। लोगों में स्वास्थ्य, जल व लिंग आदि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है।

साक्षरता के उद्देश्य :

- 15 से 35 आयुवर्ग के नव साक्षरों को शिक्षा केन्द्रों से जोड़ने में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सहायता करना।
- विभिन्न कौशलों एंव व्यवसायिक प्रशिक्षणों की व्यवस्था करना जिसमें नव साक्षर कौशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और अपने जीवन स्तर को उन्नत बना सकें।

अध्याय-3
नियोजन प्रक्रिया

अध्याय –3
नियोजन प्रक्रिया

3.1 भूमिका :

सर्वशिक्षा अभियान सर्वव्यापी, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सम्पूर्ण राष्ट्र में एक साथ एक अभियान के रूप में लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान स्त्री–पुरूष के असमानता तथा सामाजिक विषमता को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। इसके निमित नवम पंचवर्षीय योजना में केन्द्र, राज्य का अंशदान 85:15, दशम पंचवर्षीय योजना में 75:25 तथा इसके बाद 50:50 की साझेदारी होगी। यह अभियान सामुदायिक सहभागिता तथा वास्तविक विकेन्द्रीकरण पर आधारित है। बस्ती को योजना निर्माण की इकाई मानकर विकास खण्ड स्तर तथा जिला स्तर की योजना तैयार करना इसकी अपनी विशेषता है।

किसी भी कार्यक्रम अथवा परियोजना की सफल क्रियान्वित उसकी सुव्यस्थित योजना पर निर्भर करती है। सर्वशिक्षा अभियान के लिए गम्भीरता से वार्षिक एवं दीर्धकालीन नियोजन के मुख्य कारण निम्नांकित हैः

- इससे उपलब्ध संसाधनों का आंकलन एवं विश्लेषण सम्भव है।
- ग्रास रूट लेवल की आवश्यकताओं का आंकलन सम्भव है।
- उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग एवं वितरण योजना निर्माण से ही सम्भव है।
- दायित्वों का विभाजन एवं निर्विहन हेतु ।
- गुणात्मक उपलब्धि योजना निर्माण का मुख्य लक्ष्य है।
- नियोजन से ही प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन न सम्भव हो पाता है।

3.2 योजना समिति का निर्माण एवं बैठकों का आयोजन :

श्रीगंगानगर जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शाषी परिषद् एवं निष्पादन समिति का गठन जिला स्तर पर किया गया है। यहीं समितियां सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों के निर्धारण एवं उनके क्रियान्वन की रूप रेखा तय करेगी।

बैठकों का अयोजन :

जिले में शिक्षा योजना समिति की बैठक दिनांक 09.04.2002 को श्रीगंगानगर में सम्पन्न हुई। बैठक में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण, शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता वृद्धि पर विचार–विमर्श किया गया। राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने, विद्यालय भवनों को सुन्दर बनाने तथा शैक्षिक सुधारों पर चर्चा की गई। बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर विचार–विमर्श किया गया।

अभियान के अधिक प्रचार–प्रसार एवं जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया।

ग्राम एवं विद्यालय स्तर पर शाला प्रबन्ध समितियों की बैठके संकुलवार आयोजित की गई हैं जिसमें शाला प्रबन्धन समितियों के सदस्यों एवं अध्यापकों ने भाग लिया । बैठक में समग्र नामांकन एवं ठहराव तथा शैक्षिक सुविधओं एवं इनके सुदृढिकरण पर चर्चा की गई।

इन बैठकों में गांवों की शैक्षिक स्थिति का भी आंकलन किया गया है तथा साथ ही समुचित नियोजन तैयार किया गया हैं।

3.3 शिक्षा आपके द्वार अभियान :

शिक्षा आपके द्वार का प्रगति प्रतिवेदन

राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा आपके द्वार योजना का लक्ष्य प्रदेश के 6–14 आयुवर्ग के समस्त बच्चों को सन् 2003 तक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना

है। यह योजना विशेष रूप से कमजोर एवं पिछडे वर्ग के बालक–बालिकाओं, अल्प संख्यक वर्ग के बच्चों, घुमन्तु परिवारों एवं बालिकाओं की समस्याओं का ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

योजना की क्रियान्विति हेतु जिला स्तर पर कोर ग्रुप एवं क्रियान्वन समिति का गठन किया गया है।

क्र. सं.	कोर ग्रुप समिति	क्र. सं.	क्रियान्वन समिति	
1	जिला प्रमुख –अध्यक्ष	1	जिला कलैक्टर	अध्यक्ष
2	जिला परिषद् की शिक्षासमिति के सभी सदस्य	2	सभी ब्लॉक स्तरीय प्रभारी अधिकारी	सदस्य
3	जिला कलैक्टर	3	जिला शिक्षा अधिकारी	
4	परियोजना निदेशक(डी.आर.डी.ए)	4	प्राचार्य डाईट	सदस्य
5	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	5	जिला स्तरीय अधिकारी समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
6	जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा./मा.)	6	दो सेवा निवृत अधिकारी	
7	जिला परियोजना समन्वयक (डीपीईपी)	7	दो गैर सरकारी संगठनों	
8	विशेष आमंत्रित	8	जिलापरियोजना समन्वयक (डीपीईपी)	संयोजक
9	सेवा निवृत दो अध्यापक			
10	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी			
11	क्षेत्रिय उपनिदेशक महिला बाल विकास			

विकास खण्ड स्तर(कोर ग्रुप समिति) :

क्र. सं.	विकास खण्ड स्तर (कोर ग्रप समिति)		क्र. सं.	क्रियान्वन समिति	
1	प्रधान	सदस्य	1	जिला कलैक्टर द्वारा नामित आर.एस.अधिकारी	सदस्य
2	विकास अधिकारी पंचायत समिति	सदस्य	2	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
3	पंचायत समिति की शिक्षा समिति के दो सदस्य	सदस्य	3	खण्ड स्तरीय परियोजना अधिकारी बीआरसीएफ/बीईईओ	सदस्य
4	सभी खण्ड स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रमुख शिक्षाकर्मी	सदस्य	4	विकास अधिकारी	सदस्य
5	विकास अधिकारी	सदस्य	5	ब्लॉक स्तरीय अधिकारी समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास स्वास्थय विभाग	सदस्य
6	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव	6	दो गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
			7	दो सेवानिवृत अध्यापक	सदस्य

विशेष आमंत्रित :

1. सी.डी.पी.ओ.
2. इन्चार्ज, ब्लॉक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र
3. सेवानिवृत अध्यापक

ग्राम स्तर (कोर ग्रुप समिति)

1. सरपंच

   अध्यक्ष

2. वार्ड सदस्य – 5

   (अनुसूचित जाति–1, अनुसूचित जन जाति–1 एवं महिला–1)

3. ग्राम सेवक

4. आंगनबाडी कार्यकर्त्ता

5. अध्यापक सदस्य

   (उ.प्रा.वि. के प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत)

6. अभिभावक–2 सदस्य

   (उ.प्रा.वि. के प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत)

7. उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यपक (सदस्य सचिव)

विशेष आमंत्रित :

1. ए.एस.एम.
2. सेवा निवृत कर्मचारी

ग्राम स्तर पर क्रियान्वन ग्रुप :

1. सरंपच

   अध्यक्ष

2. वार्ड सदस्य – 5

   सदस्य

   (अनूसूचित जाति–1, अनुसूचित जन जाति–1, महिला–1)

3. ग्राम सेवक सदस्य
4. आंगनबाडी कार्यकर्त्ता सदस्य
5. अध्यापक – 2 सदस्य

(उ.प्रा.वि. के प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत)

6.	अभिभावक –2	सदस्य
	(उ.प्रा.वि. के प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत)	
7.	उ.प्रा. विद्यालय का प्रधानाध्यापक	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :

1.	ए.एन.एम.	सदस्य
2.	सेवानिवृत कर्मचारी	सदस्य

शहरी क्षेत्रों के लिए वार्ड समिति :

1.	वार्ड मैम्बर	अध्यक्ष
2.	आंगनबाडी कार्यकर्त्ता	सदस्य
3.	सेवानिवृत अध्यापक	सदस्य
4.	अभिभावक – 2	सदस्य
	(महिला एवं पुरूष)	
5.	अध्यापक – 2	सदस्य
	(महिला एवं पुरूष)	

कार्यशाला/आमुखीकरण :

शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय कलैण्डर के अनुसार संभाग स्तर पर आमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन 03.11.2001 को किया गया।जिला स्तर पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन 06.11.2001 को किया गया एवं ब्लॉक स्तर पर आमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन 08.11.2001 को किया गया।

दिनांक 12.11.2001 को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकारी दल की बैठकें आयोजित की गई थीं और प्रधानाध्यापकों को शिक्षा दर्पण 2000 के आंकडे उपलब्ध करवा दिए गए थे और शिक्षा दर्पण सर्वे के निर्देश दिए गए थे। दिनांक 19.11.2001

को ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया एंव शिक्षा आपके द्वार आयोजन का शुभारम्भ किया गया।

शिक्षा दर्पण (शहरी) 2002

शिक्षा दर्पण (शहरी) के आयोजन के तहत शहरी क्षेत्र में शाला से वंचित बच्चों को सर्वे कार्य का शुभारम्भ 26.11.2002 से किया गया।इस कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति हेतु 18 जनवरी 2002 को राज्य संदर्भ केन्द्र, जयपुर में 3 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । जिला स्तर पर शहर प्रभारियों (ब्लॉक प्रा.शि. अधिकारी) से दिनांक 23.01.2002 को प्रशिक्षण दिया गया। शहर स्तर पर वार्ड प्रभारियों, वार्ड पार्षद, सर्वे दल के सदस्यों को प्रशिक्षण शहर प्रभारियों द्वारा 24.01.2002 को दिया गया तथा दिनांक 26.01.2002 को समस्त वार्ड समितियों की बैठाकों का आयोजन वार्ड प्रभारियों द्वारा अपने वार्ड में किया गया।

जिले में कुल 10 शहरी क्षेत्रों में कुल 208 वार्ड प्रभारी नियुक्त किए गए तथा कुल 301 सर्वे दलों का गठन किया गया । सर्वे दलों द्वारा अपने अपने वार्ड में दिनांक 26.01.2002 से 05.02.2002 तक सर्वे किया गया । सर्वे में पाए शाला से वंचित बालक –बालिकाओं का शाला से जोडने की जिम्मेदारी अध्यापकों को सौंपी गई तथा प्रधानाध्यापकों को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया।

जिला स्तर, ब्लॉक स्तर व ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों की तिथियां भी निश्चित की गई है जिसमे कार्यक्रम के अनुश्रवण व क्रियान्वन में गुणवत्ता बनी रहें।

जिला स्तर पर हर माह 10 तारीख, ब्लॉक स्तर पर 7 तारीख व ग्राम व पंचायत स्तर पर 5 तारीख निश्चत की गई है। सर्व शिक्षा अभियान में इस कार्य योजना को आधार माना जाएगा।

सामाजिक सर्वेक्षण :

सामाजिक सर्वेक्षण एवं अध्ययन का कार्य चाक सू (जयपुर) की संस्था द्वारा किया गया है। इस दल के सदस्यों ने एक माह तक जिले मे रहकर एक अध्ययन किया। विभिन्न स्तरों पर विचार–विमर्श के पश्चात दल ने पाया कि निम्नांकित वर्गो में नामांकन एवं शैक्षिक स्थिति कमजोर है:

- भूमिहीन
- मजदूर
- ईंट भट्टों पर कार्य करने वालों
- पलायनवादी परिवार
- बालिकाएं
- अनुसूचित जाति के परिवार

इसी प्रकार इस अध्ययन/सर्वेक्षण में श्रमिक वर्ग के बच्चो, झुग्गी झोपडियों, गन्दी घनी बस्तियों एवं बालिकाओ में उच्च पलायन दर पाई गई। इसके कारणों का भी पता लगाया गया। उन्होनें श्रीगंगानगर के 10 गांवो में दत्त संकलन किया एवं इसके आधार पर एवं सीखने के निम्न स्तर के कारणों को सूचीबद्ध किया जो इस प्रकार है:

- बच्चों की नियमित उपस्थिति का अभाव
- बच्चों को गृहकार्य में लगा दिया जाना एवं उचित समय का प्रबन्धन नहीं होना।
- अच्छी एवं संतोषजनक शिक्षण पद्धति का नहीं होना।
- शिक्षण सामग्री का उचित उपयोग नहीं होना।
- शिक्षण सामग्री का अभाव।
- विद्यालय में आकर्षक एवं आनन्ददायी वातावरण का न होना।
- मूल्यांकन का दोषपूर्ण तरीका।
- विद्यालयों का अभाव एवं विद्यालयों का पहुंच से दूर होना।
- पाठयक्रम की व्यवहारिकता का अभाव।

- कमजोर पर्यवेक्षण।
- अध्यापकों में कार्य के प्रति उदासीनता एवं समर्पण का अभाव।
- अनुपयुक्त कक्षा–कक्ष।
- समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता का अभाव।
- अत्यन्त गरीबी।
- परिवारों का जिले अथवा जिले के बाहर काम की तलाश में पलायान उपयुक्त कारणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बेस लाइन सर्वे :

बेस लाइन सर्वे का कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सम्पन्न किया गया। इस सर्वेक्षण में प्राथमिक कक्षाओं में अधिगम स्तर कमजोर पाया गया। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के उपलब्धि स्तर की जांच करना था। इस सर्वे के निम्नांकित परिणाम सामने आए।

कक्षा 1 की भाषा में बहुत कम उपलब्धि स्तर 11.25 ग्रामीण क्षेत्र में, 14.83 शहरी क्षेत्र में पाया गया। अनुसूचित जाति में यह उपलब्धि स्तर 11.36 और अनुसूचित जाति में 14.50 पाया गया। इसी गणित में ग्रामीण क्षेत्र में 12.70 तथा शहरी क्षेत्र में 14. 99 पाया गया। अनुसूचिम जाति में यह उपलब्गि स्तर 12.35 तथा अनुसूचित जन जाति में 13.82 पाया गया। कक्षा 4 में यह उपलब्धि स्तर ग्रामीण 33.33 और शहरी में 37.79 पाया गया।

अध्याय-4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

अध्याय –4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भूमिका :

सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को जन–जन तक पहुंचने सम्बन्धी चिर अभिलक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सर्व शिक्षा अभियान जिससे देश की प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है। इसका उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने सम्बन्धी आवश्यकता को पूर्ण करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री–पुरूष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई है जो बिन्दुवार निम्नवत है:

- 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूल शिक्षा गारन्टी केन्द्र वैकल्पिक स्कूल बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता।
- सभी बच्चे वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें।
- सन्तोषजनक कोटि की प्रारम्भिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेषा महत्व दिया गया हो पर बल देना।
- बालक–बालिका असमानता तथा समाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक स्तर पर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाए रखना।

- सर्व शिक्षा के माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी इन सभी प्रयासों में एक–रूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे प्रयास किए जाएगें जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर तक निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्दीकरण सुनिश्चित हो सके।

इसके अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) शिक्षकों, स्वयं सेवकों, कलाकारों व महिला संगठनों को आबादी में सम्मिलित कर इस योजना को परदर्शी बनाया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान एक अंश के रूप में संस्थागत सुधार किए जाएंगे।इसमें शैक्षिक पद्धति का वस्तु–परक मूल्यांकन करना होगां जिसमें शैक्षिक प्रशासन, स्कुलों में उपलब्धि स्तर वित्तीय मामले, विकेन्द्रीकरण तथा सामुदायिक स्वामित्व, शिक्षकों की नियुक्ति तथा तैनाती को तर्क संगत बनाना, मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन, लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा सुविधा विहीन वर्गों के लिए शिक्षा, निजी स्कूलों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों सम्बन्धी मामले सम्मिलित होगें।

इस कार्यक्रम के लिए प्रभावी विकेन्द्रीकरण के माध्यम से स्कूल आधारित कार्यक्रमों की सामुदायिक स्वामित्व की अपेक्षा है। शाला प्रबन्धन समिति, महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों और पंचायती राज्य संस्थाओं के सदस्यों को सम्मिलित कर इस कार्यक्रम को बढाया जाएगा।

इस कार्यक्रम में समुदाय आधारित पद्धति अपनाई जाएगी। शैक्षिक प्रबन्ध सूचना पद्धति नियोजन और सर्वेक्षण से समुदाय आधारित सूचना के साथ स्कूल स्तरीय आंकड़ों का सम्बन्ध करेगी।

सर्व शिक्षा अभियान की ईकाई के रूप में बस्ती को आधार मानकर योजना का निर्माण किया जाएगा। बस्ती की योजना जिला योजना का आधार होगी।

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों, अभिभावकों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच सहयोग एवं परदर्शिता की परिकल्पना की गई है।

बालिकाओं विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अपवन्वित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख लक्ष्य होगा। इसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक, विकलांग बच्चों की शैक्षिक सहभागिता पर विशेष बल दिया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान पाठ्क्रम में सुधार करने तथा बाल केन्द्रित काय्र कलापों और प्रभावी शिक्षा पद्धतियों को अपनाकर प्रारम्भिक स्तर तक शिक्षा को उपयोगी तथा प्रासंगिक बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा।

असंवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय, नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/नवाचार शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

4.1 सर्व शिक्षा अभियाान के उद्देश्य व लक्ष्य :

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटि परक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री पुरूष असमानता तथा सामाजिक अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई है।

4.2 सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य :

- सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्ष गारन्टी केन्द्र वैकल्पिक स्कूल बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता।
- सभी बच्चे 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- सभी बच्चे 2010 तक आठ वर्ष की स्कूल शिक्षा पूर्ण कर लें।
- जावनोपयोगी शिक्षा को महत्व दिया जाएगा।
- बालक–बालिका असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद–भाव को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक स्तर तक समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चो को स्कूल में बनाए रखना।

जिले के लक्ष्य

4.3–1 नामांकन के लक्ष्य :

श्रीगंगानगर जिले ने कृषि व औद्योगिक विकास में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान दर्ज कराया है कुछ विशेष स्थानों जैसें अनूपगढ, घडसाना व सूरतगढ, श्रीबिजयनगर एवं सूरतगढ को छोडकर शैक्षिक सुविधाओं में भी काफी प्रगति हुई है। जिला प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का अभाव था एवं राज्य की नीति नियमों के तहत विद्यालय नहीं खोले जा सकते थे ऐसे 165 स्थानों पर वैकल्पिक स्कुलों की भी व्यवस्था की गई है साथ ही मदरसों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा गया है। इन सुविधाओं के होतु हुए भी साक्षरता की दृष्टि राज्य की औसत साक्षरता दर जिले की साक्षरता दर अन्य जिलों की अपेक्षा कम आंकी गई है।

विभिन्न प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रादुर्भाव से जिले में शिक्षा की दृष्टि से जाग्रति आई है एवं विद्यालयों एवं शिक्षा केन्द्रों की लगातार मांग बढ रही है।

सीमांत क्षेत्र होने के कारण राज्य सरकार ने भी इस जिले सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत विभिन्न स्कूलों के निर्माण एवं आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की तरफ ध्यान दिया है।

इसके अतिरिक्त 30:70 योजना के तहत भी विद्यालयों में कक्षा कक्षों चारदीवारी आदि के निर्माण कार्य सम्पन्न हुए है।

राज्य सरकार ने उन 250 की आबादी वाले गांवो/ढाणियों में 1.5 कि.मी. की दूरी पर विद्यालय खोले है तथा महिला अध्यापिकाओं का अनुपात बढाया गया है राज्य में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण एंव मिड डे मिल कार्यक्रमों की शुरूआत की गई जिससे नामांकन बढाने शिक्षाकर्मी परियोजना में भी विकास खण्डों में कार्य कर रहा है। इतने प्रयासों के बावजूद भी शिक्षा दर्पण सर्वे के अनुसार 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाएं शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं जुड पाए हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने में काफी हद तक सफलता हासिल की है। शिक्षक प्रशिक्षणों, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं उपयोग, शाला

सुविधाएं अनुदान, पाठ्यक्रम समीक्षा एवं आनन्ददायी शिक्षण विधाओं के अभिनव प्रयोगों से कक्षा 1 से 5 में नामांकन ठहराव एवं गुणवत्ता में वृद्धि के संकेत मिले है परन्तु उच्च प्राथमिक स्तर पर समस्या जस की तस है। इन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव, नीरस शिक्षण, प्रशिक्षणों एवं पाठ्यक्रम समीक्षा के अभाव एवं उच्च प्राथमिक स्तर की सुविधा के अभाव में बालक विशेषकर बालिकाएं उच्च प्राथमिक स्तर पूर्ण नहीं कर पाते। इसके साथ की राज्य सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को क्रमोन्नत तो कर दिया जाता है। परन्तु पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के कारण विद्यालयों को शैक्षिक स्तर अनुकूल नहीं बन पाता है।

4.3.2 सर्वशिक्षा अभियान में इन बिन्दुओं पर विशेष घ्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

- भारत की जनगणना 2001 के अनुसार जिले की साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत पाई गई है और महिला साक्षरता दर 52.69 प्रतिशत पाई गई है। तुलनात्मक दृष्टि से साक्षरता की दर दोनों दृष्टियों से अन्य कई जिलों से कम हैं।
- जिले में 8559 बालक–बालिकाएं ऐसे है जो कि विद्यालय नहीं जाते तथा बहुत से बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय त्याग देते है।
- जिले में 1996 में साक्षरता अभियान एवं 1998 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संचालन से लोगों में जागरूकता बढी है व प्राथमिक स्कूली व्यवस्था के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्कूली व्यवस्था की मांग बढी हैं उच्च प्राथमिक स्कूल व्यवस्था में आधारभूत सुविधाओं मानवीय संसाधनों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं।

इन विचारों के दृष्टिगत रखते हुए सन् 2003 तक प्राथमिक शिक्षा एवं 2007 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा का ठहराव एवं गुणवत्ता सहित सार्वभौमिकरण जिलें में एस.एस.ए. के संचालन से ही संभव है। इस लिहाज से जिले में सर्वशिक्षा अभियान के निम्नांकित लक्ष्य है :

- सन् 2003 तक 6–14 आयु वर्ग क समस्त बालक बालिकाओं के लिए विद्यालय शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल एवं बैक टू स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- 2007 तक समस्त बालक–बालिका 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करले यह सुनिश्चित करना।
- 2010 तक नामांकित समस्त बच्चें कक्षा 6 तक की स्कूली व्यवस्था पूरी कर लें।
- अधिगम उपलब्धि स्तर को 2007 तक प्राथमिक स्तर में 100 प्रतिशत तक ले जना। न्यूनतम 40 प्रतिशत मानकर प्रतिवर्ष इसके 10 प्रतिवर्ष वृद्धि की जायेगी।
- इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर 2010 तक अधिगम तक अधिगम स्तर को 100 प्रतिशत तक ले जाना।
- ठहराव की 100 प्रतिशत सुनिश्चित करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा के नियोजन, प्रबन्धन एवं मूल्यांकन हेतु राज्य एवं जिले की संस्थाओं को सुदृढ़ीकरण प्रदान करना।
- सामाजिक विषमता एवं पुरूष स्त्री भेद के अन्तर को समाप्त कर शून्य पर लाना।
- इस अभियान की भावना के अनुरूप क्रियान्विति जनसहभागिता से विकेन्दीकृत व्यवसायी एवं स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से की जायेगी।

जिले के संदर्भ में विशेष लक्ष्य :

4.3.3 पहुँच के लक्ष्य :

श्रीगंगानगर की वर्तमान शैक्षिक स्थिति को ध्यान में रखते हए निर्धारित किए गए हैं। जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं शिक्षाकर्मी परियोजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को लेकर पूर्व से ही संचालित है तथा इन कार्यक्रमों के तहत 1997 की स्थिति 1148 विद्यालय विहीन गाँप अथवा ढाणियाँ जिसमें नियमानुसार 385 में विद्यालय खोले जा सकते थे। वित्त सीमा के कारण 165 वैकल्पिक विद्यालय तथा 11 मदरसों को ही प्रारम्भ किया गया है एवं इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है।

सन् 2001 की जनसंख्या के अनुसार आबादी बढ़ने के कारण लगभग 100 ढाण्यिाँ/मजरे अभी शेष है जहाँ वैकल्पिक विद्यालय एवं 50 शिक्षा गारन्टी केन्द्र खोले जाएगें।

वर्तमान में जिले में 84 गाँव ऐसे है जिनके 3 कि.मी. की परिधि में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है अतः प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए 3 कि.मी. से अधिक दूर पढने जाने वाले बच्चों के लिए 84 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 20 वैकल्पिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

4.3–4 नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य :

जिले में कक्षा 1 से 5 के नामांकन में काफी वृद्धि हुई है लेकिन यदि ठहराव की स्थिति को देख जाए तो यह बहुत कम है। जिले में वर्तमान में प्राथमिक कक्षाओं को बीच में त्यागने वाले बच्चों की संख्या का प्रतिशत कुल नामांकन का लगभग 40 प्रतिशत है। इसमें भी अनुसूचित जाति, अनूसूचित जन–जाति तथा लड़कियों का प्रतिशत तथा लड़कियों की पलायन दर अधिक है। हमारा लक्ष्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं वंचित वर्ग पर केन्द्रित रहेगा।वर्तमान मे जिले का सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत है।

अध्याय-5

पहुँच नामांकन एवं ठहराव

अध्याय – 5
पहुँच, नामांकन एवं ठहराव

5.1 भूमिका :

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा सुविधाओं का कम होना व दूरी अधिक होना है। प्रत्येक बालक–बालिका के लिए 1 कि.मी. की सीमा में शिक्षा की सुविधा होना आवश्यक है, साथ की ऐसे बच्चे जो इन शैक्षिक सुविधाओं में भी कुछ औपचारिकताओं के कारण नहीं जुड पाते है तो ऐसे बच्चों के लिए यह सीमा समाप्त कर ऐसे स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था जैसे वैकल्पिक विद्यालय (4 घण्टे), ब्रिज कोर्स, शिक्षा मित्र (सांयकालीन विद्यालय) संचालित किए जाने आवश्यक होगें।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की सुनिश्चितता हेतु निम्न व्यूह रचना को क्रियान्वन किया जाएगा।

5.2 वैकल्पिक विद्यालय :

जिले में 1998 से डीपीईपी (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 165 वैकल्पिक विद्यालय(6 घण्टे), 10 ब्रि कोर्स संचालित है। इन व्यवस्थाओं में क्रमशः 3341 एवं 240 बालक–बालिका नामांकित हुए है। इनके अलावा 11 मदरसे चलाए जा रहे है जिनमें अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास जारी है। इनमे 735 बालक–बालिकाएँ है।

लेकिन फिर भी लगभग 8569 बालक–बालिका शिक्षा आपके द्वार सर्वे के आधार पर अभी भी किसी भी प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था/वैकल्पिक व्यवस्था से नहीं जुड़ पाए है। उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्थाएँ जुटाई जाएगी।

5.3 प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नति :

सर्व शिक्षा अभियान में उन विद्यालयों को जिनके 3 कि.मी. तक कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है साथ ही गांव की आबादी कम से कम 500 है तथा कक्षा 5 में कम से कम 15 विद्यार्थी अध्ययनरत है को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है । प्रत्येक ब्लॉक में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुपात 2:1 रखा जाएगा।

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	क्रमोन्नत विद्यालयों की संख्या
1	करणपुर	139	48	9
2	पदमपुर	152	43	
3	सूरतगढ	105	50	12
4	सादुलशहर	64	55	
5	अनूपगढ	126	37	12
6	श्रीबिजयनगर	121	33	16
7	गंगानगर	140	79	
8	रायसिंहनगर	179	61	14
9	घडसाना	96	29	12
	योग	1122	435	75

उर्पयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि गंगानगर औ सादुलशहर में इसी तरह के प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति नहीं की जाएगी। विकास खण्ड सूरतगढ में गांव की दूरी अधिक होने के कारण रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण 3 कि.मी. से अधिक दूरी को आधार मानकर अधिक विद्यालय क्रमोन्नत किए जाएंगे, चाहे ये अनुपात 2:1 से कम पड़ता हो। इस ब्लॉक में 102 रा.गा.पा. संचालित है। जिसमें कुल 6435 बालक–बालिका अध्ययनरत है। जिन्हें वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक चरणबद्ध तरीके से क्रमोन्नत किया जाएगा। अतः इन विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों

का दर्जा मिलने पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात मानदण्डानुसार होगा।

5.4 • शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तन :

शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय(6 घण्टे) जिनमें 30 का न्यूनतम नामांकन है को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन किया जाएगा एवं प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण के उद्देश्य को पूर्ण किया जाएगा।वर्तमान में जिले में ई.जी.एस. के अन्तर्गत 360 राजीव गाँधी पाठशालाएँ एवं 180 वैकल्पिक विद्यालय डीपीईपी द्वारा संचालित किए जा रहे है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक विद्यालय जहाँ कक्षा 5 का संचालन हो रहा है एवं छात्र संख्या 100 एवं इससे अधिक है को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। इसी तरह सन 2004–05 में 20 प्रतिशत राजीव गाँधी पाठशालाओं व सभी संचालित 200 वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा।सन् 2006–07 में शेष सभी 157 राजीव गाँधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालय का दर्जा दे दिया जाएगा। इस प्रकार सन 2006–07 तक ईजीएस एवं वैकल्पिक व्यवस्थाओं के कुल 613 केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा मिल जाएगा एवं केवल राजकीया प्राथमिक एवं उ.प्रा. पाठशालाएँ संचालन में रह जाएगी। उन्हीं ईजीएस केन्द्रो को चरणबद्ध तरीके प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्वित करने का प्रावधान रखा गया है जहाँ कक्षा 5 चल रही हो एवं कुल नामांकन कम से कम 100 हो ऐसे विद्यालयों को परिवर्तन पश्चात एक नियमित अध्यापक पर दो पैराटीचर उपलब्ध करवाये जायेंगे एवं क्रमोन्नति वर्ष में 10000 शिक्षण अधिगम उपकरणों हेतु प्रदान किया जायेगें भविष्य में भी आवश्यकता आधारित गैर सरकारी संगठनों अथवा सीधे अभियान के तहत शिक्षा गारन्टी केन्द्र खोले जायेगें। तदन्तर में 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चे जिन्होनें कक्षा 5 पास कर ली है एवं कारणवश पढाई छोड दी है को प्रारम्भिक शिक्षा से जोडने अथवा प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करवाने हेतु शिक्षा गारन्टी केन्द्र खोले जायेगे। इस हेतु 1200 रू प्रति विद्यार्थी प्रावधान रखा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में माता एवं पिता के मजदुरी पर जाने से 3–6 आयु वर्ग के बालक बालिका शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन :

उपलब्ध एवं अन्य प्रस्तावित शैक्षिक सुविधाओं में न जुड पाने वाले विशिष्ट फोक्स ग्रुप के बच्चों के लिए कम से कम 15 बच्चो के वंचित होने पर शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक शिक्षा नवाचार के अन्तर्गत जोड़ा जाएगा तथा पुनः लौटने पर उन्हें उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं से कार्ड के उपलब्धि स्तर के आधार पर जोड़ा जाएगा। इस कार्डस के आधार पर यदि वह माईग्रेट होने वाले स्थान पर ही शिक्षा से जुडता है तो उसको बढ़े हुए स्तर के अनुसार जोड़ा जाएगा। जो बच्चे अभियान के अन्तर्गत नामांकित तो हो गए किन्तु यदि उनका निरन्तर ठहराव नहीं है तो उन्हें भी इन्हीं वैकल्पिक व्यवस्थाओं से जोडकर ठहराव सुनिश्चित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को 2010 तक प्राप्त किय जाएगा।

प्रस्तावित नवाचार की व्यूह रचना निम्न प्रकार है :

ब्रिज कोर्स	48 (छात्र छात्रा दोनो के लिए)
माईग्रेट होने वाले बच्चों को कार्ड जारी करना	1200
शिक्षा गारन्टी केन्द्र	21
माईग्रेटरी हॉस्टल	21
कुल बालक–बालिका	1200

5.6 अध्यापकों की आवश्यकता :

जिले में नामांकन की स्थिति निम्नानुसार के आधार पर 1:40 के अनुपात में आवश्यकतानुसार अध्याकों की नियुक्ति की जाएगी तथा क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं आवश्यकतानुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जाएर्ग।

कुल नामांकन	कुल कार्यरत अध्यापक	आवश्यकता अध्यापक
241772	5926	118 (2002-03)

5.8 ठहराव की स्थिति :

जिले में 1995 की कक्षा 1 का एवं 2002 मे कक्षा 8 का नामांकन निम्न प्रकार है:

वर्ष 1995 में कक्षा 1 का नामांकन	वर्ष 2002 मे कक्षा 8 का नामांकन	ठहराव दर
63454	26414	41-87

इस प्रकार ठहराव की स्थिति कुल 41.87 प्रतिशत है जिनको निम्न प्रकार से बढ़ाने के प्रयास किए जाएगें :

5.8 सामुदायिक गतिशीलता :

सामुदायिक गतिशीलता से आशय समाज के विचारों में सकारात्मक परिवर्तन से आश्य किसी एक क्षेत्र विशेष से न होकर जीवन के हर पहलू में समाज की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक एवं वैज्ञानिक सांस्कृतिक भौतिक विकास एवं संसाधन जुटाने में बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देने वंचित एवं पिछडे वर्ग को आगे बढ़ाने में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने से है।

इस हेतु ग्राम शिक्षा समेतियों का गठन विद्यालयों प्रबन्धन समितियों का गठन जनप्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना, मनोरंजनात्मक गतिविधियों का आयोजन शिक्षक–अभिभावक संघ को सक्रिय करना, कला जत्थों, बाल मेलों ,विकास प्रदर्शनियों, प्रभात फेरियों, रेली विभिन्न प्रतियोगिताओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मेलन, झांकियो का प्रदर्शन, पोस्टर–फोल्ड, चार्ट आदि का प्रकाशन कर सहभागिता में वृद्धि करना मुख्य–मुख्य गतिविधियां है। इसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते है :

1. जन प्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क।
2. विद्यालय विकास खण्ड।

3. सांस्कृतिक संस्थाओं का आयोजन।
4. ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना।
5. महिला बैठकों का आयोजन।
6. नामांकन अभियान हेतु विशेष योजना।
7. शत प्रतिशत नामांकन करने वाले संस्था प्रधानों को पुरस्कृत करना।
8. बाल मेलों का आयोजन।

9. शाला प्रबन्धन समितियों को प्रशिक्षण :

वर्ष में एक बार प्रत्येक विद्यालय की शाला प्रबन्धक समिति को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।जिसमें अभियान की जानकारी, कार्यो के तरीके, नियोजन एवं प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर विमर्श किया जाएगा। समिति के सदस्यों को उनके कार्यो एवं दायित्वों से अवगत कराया जाएगा एंव उन्हें कार्य के लिए सक्षम बनाया जाएगा। प्रत्येक समिति में अधिकतम 8 सदस्य होगें जिनमें समस्त वर्गो का प्रतिनिधित्व होगा।

10. भवन निर्माण समितियों का प्रशिक्षण :

प्रतिवर्ष भवन निर्माण समितियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक भवन निर्माण समिति से कम से कम 3 सदस्य होगे जो कि शाला प्रबन्धन समिति के लिए जाएगें । इन सदस्यों का प्रतिवर्ष 1 दिन का प्रशिक्षण होगा। इस प्रशिक्षण में निर्माण कार्यों की तकनीकी जानकारी, शाला अनुदान के समुचित उपयोग एवं शाला विकास के सम्बन्ध मे जानकारी देकर सदस्यों की कार्यक्षमता में अभिवृद्धि की जाएगी।

11. ग्राम पंचायत पुस्तकालय/अध्ययन कक्षों की स्थापना (Library Cum Study Room) :

अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पुस्तकालय–कम–अध्ययन कक्षों की स्थापना की जाएगी।सम्प्रति जिले में 320 ग्राम पंचायतों में यह कार्य करवाया जाएगा। इस प्रकार पुस्तकालयों/अध्ययन कक्षों की स्थापना से सामुदायिक जुड़ाचव में सकारात्मक अभिवृद्धि होगी। इन केन्द्रों की स्थापना से गाँव के पढ़े–लिखे युवक–युवतियों, सेवानिवृत कर्मचारी एवं अन्य शिक्षित व्यक्तियों को पढ़ने एवं शैक्षिक चर्चा का मंच मिलेगा।इन पुस्तकालयों पर सामाजिक, योजनागत, शिक्षाप्रद एवं धार्मिक तथा अन्य बालपयोगी पुस्तकें संग्रहित कर रखी जाएगी। पुस्तकालय/अध्ययन कक्षों की उचित देखभाल एवं रख–रखाव हेतु उचित मानदेय पर पंचायत के किसी स्वयं सेवक को रखा जाएगा। इस गतिविधि पर प्रविवर्ष 1000 रूपये व्यय का प्रस्ताव है।

5.9 व्यवसायिक शिक्षा :

वर्तमान शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ा दोष यह है कि बालक को स्वावलम्बन की ओर नहीं बढ़ाया जा रहा है। यदि शिक्षा के साथ कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को जोड़ दिया जाए तो बालक विद्यालय में अध्ययन करते समय एवं विद्यालय छोड़कर समाज में प्रवेश करे तो वह कुछ धनोपार्जन कर सके जिसके परिणामस्वरूप यह परिवार पर भार स्वरूप न रहकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहयोग प्रदान कर सकेगा। इसके लिए निम्नांकित गतिविधियों को समायोजित किया जा सकता है:

1. अगरबत्ती बनाना
2. मोमबत्ती बनाना
3. साबुन बनाना
4. अबरी बनाना
5. धागा पेंटिंग
6. चॉक स्टिक बनाना
7. बिजली उपकरणों की मरम्मत

5.10 विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता एवं पूर्ति :

विद्यालयों की वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की स्थिति एवं उस विद्यालय में नामांकित बालक–बालिकाओं की संख्या के आधार पर अतिरिक्त कक्षा कक्ष चारदीवारी, शौचालय, भवन विहिन विद्यालय भवन का आवश्यकतानुसार निर्माण कराया जाएगा।

5.11 विद्यालय रख रखाव राशि :

विद्यालयों की भौतिक स्थिति को सुधारने हेतु एवं उनके रख रखाव के लिए प्रत्येक प्रा वि एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय 5000 रूपये प्रतिवर्ष दिए जाएगें। इस राशि का उपयोग विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं के लिए भी किया जाएगा।

5.12 पूर्व प्राथमिक शिक्षा :

ग्रामीण क्षेत्रों में माता एवं पिता के मजदूरी पर जाने से 3–6 आयु वर्ग के बालक बालिका विद्यालयों में अपने बडे भाई–बहिन के साथ कक्षा में बैठे रहते है जिससे उनके शिक्षण में व्यावधान आता है। अतः ऐसे छात्रों में शिक्षा के प्रति रूझान बनाने के लिए जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र चलाये जायेंगे। जहां 3–6 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं के लिए आनन्ददायी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इन पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों के लिए एक–एक महिला निर्देशिका का चयन किया जायेगा। जिले में 1198 आई सी डी एस के आंगनबाडी केन्द्र संचालित है। अतः जिन गांवो विद्यालयों में आंगनबाडी केन्द्र नहीं है वहां आवश्यकतानुसार ईसीई केन्द्र प्रारम्भ किए जाएगें। इस प्रकार कुल 570 कुल केन्द्रों की आवश्यकता का आंकलन किया गया है।

5.13 कम्प्यूटर शिक्षा :

अभियान के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के बालक–बालिकाओं के लिए कम्प्यूटर शिक्षा लागू की जाएगी। इस हेतु प्रतिवर्ष कक्षा 6 से 8 के कुल 3000 बालक–बालिकाओं को इस शिक्षा से जोडने का प्रस्ताव है। अभियान की अवधि में कुल 12000 बालक बालिकाओं को कम्प्यूटर शिक्षा से जोडने का प्रावधान किया गया है एवं प्रतिवर्ष 500 रूपये प्रति बालक–बालिका व्यय का प्रावधान रखा गया है।

अध्याय-6

गुणात्मक शिक्षा

अध्याय – 6
गुणात्मक शिक्षा

6.1 भूमिका :

सर्व शिक्ष अभियान का प्रमुख लक्ष्य सत्र 2010 तक समस्त 6–14 वर्ष के बच्चों को कोटि पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। सम्प्रति जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक स्तर तक इसका विस्तार किया जाएगा। इस अध्याय में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय सुविधा राशि,निःशुल्क पाठयपुस्तकों, उपचारात्मक कक्षाओं के आयोजन एवं शिक्षकों के विभिन्न प्रशिक्षणों के आयोजन का उल्लेख किया गया है।

6.2 विद्यालय अनुदान राशि (एस.एफ.जी.):

जिले में वर्तमान में 1142 प्राथमिक विद्यालय है तथा वर्ष 2002–03 में 25 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने का प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन 1142 विद्यालयों को प्रतिवर्ष 2000/– रूपये शाला की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाएगा।

जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत समस्त प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 2000 रूपये शाला सुविधा अनुदान के रूप में दिए जा रहे है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की कार्यावधि समाप्ति पश्चात समस्त प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 2000 रूपये शाला सुविधा अनुदान के रूप में दिए जाएगें। वर्ष 2002–03 में 437 उ. प्रा. विद्यालयों को यह ग्रान्ट प्रदान की जाएगी।

6.3 शिक्षण अधिगम सामग्री :

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को आनन्दायी एवं खेल विधि पर आधारित शिक्षण एवं कक्षागत अन्तः क्रिया बढाने हेतु प्रतिवर्ष 500 रूपये दिए जाएगे।

प्रत्येक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाएगी कि इस राशि का उपयोग बच्चों के अधिगम स्तर को बढाने हेतु विभिन्न शिक्षण सामग्री का स्वयं निर्माण करेगा।

प्राथमिक विद्यालयों में यह अधिगम सामग्री जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सम्प्रति 1637 अध्यापकों को वर्ष 2002–03 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। तदन्तर में क्रमोन्नति एवं नामांकन अभिवृद्धि के कारण पदों में वृद्धि एवं डीपीईपी कार्यवधि पश्चात प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी यह राशि अभियान के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी।

6.4 पुस्तकालय अनुदान :

अभियान के तहत समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रविवर्ष 2000/– की राशि पुस्तकालय पुस्तकों हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बच्चों में पुस्तकालयी प्रवृति के प्रति रूचि बढेगी तथा बच्चों के मानसिक विकास व सामान्य जानकारी में अभिवृद्धि होगी। प्रथम वर्ष में 1500 रूपये पुस्तकालय की अलमारी के लिए एवं 2000 रू की राशि पुस्तकें क्रय करने हेतु दी जायेगी।

जिले में अभियान के तहत वर्ष 2003–04 में प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने हेतु पुस्तकालय अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अन्तर्गत प्रति विद्यालय 1500 रूपये पुस्तकालय अलमारी एवं 2000 की ग्रान्ट बालपयोगी एवं सन्दर्भ पुस्तकों के लिए दिए जाएगें। पुनः वर्ष 2006–07 में पुस्तकालय पुस्तकों हेतु प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को 2000 रूपये की ग्रान्ट प्रदान की जाएगी। इस सुविधा से बालक–बालिकाओं एवं शिक्षकों में पढ़ने की आदतों का विकास एवं पाठ्यक्रम से इतर ज्ञानार्जन में मदद मिलेगी।

6.5 प्रशिक्षण :

जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले किया अभिवृद्धि की अपेक्षा की गई है। इन प्रशिक्षणों से शिक्षकों की सोच व कार्यों के तरीकों में सकारात्मक परिवर्तन आया है एवं गुणात्मक सुधार को बल मिला है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य से जोड़ा जाएगा एंव उपर्युक्त विधियों से शिक्षण एवं गुणात्मक सुधार की अपेक्षा की जाएगी। सम्प्रति जिले में प्रथम वर्ष प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति के पश्चात जिलें में कुल 1712 शिक्षकों को निम्नानुसार प्रशिक्षण कार्यों से जोड़ा जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान में, तीन तरह के प्रशिक्षण आयोजित होंगे।

1. सेवारत अध्यापकों को प्रतिवर्ष 20 दिन का प्रशिक्षण टुकडों में दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में 9 दिवसीय अभिमुखीकरण एवं विषयगत प्रशिक्षण, 3 दिवसीय टीएलएम प्रशिक्षण एवं आठ बार पाठ्यक्रम समीक्षा एवं नियोजन आधारित एक दिन प्रतिबार मासिक बैठकों की अवधि सम्मिलित की गई है।

इन प्रशिक्षणों को प्रभावी एवं आनंददायी बनाने हेतु नवीन विधियों का प्रयोग किया जाएगा।

2. औपचारिक विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापकों को एक बार में 60 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षणों डाइट में दिया जाएगा।

3. नव नियुक्त अध्यापकों पैराटीचर्स को 30 दिन का आधारभूत अवधारणात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण को नवीन शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग कर प्रभावी एवं आनन्दायी बनाया जाएगा।

अध्याय-7

विशिष्ट फोकस ग्रुप

अध्याय – 7
विशिष्ट फोकस ग्रुप

7.1 भूमिका :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत नामांकन एवं ठहराव के अभियन के दौरान अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषय छूट गए हैं जिनका इस अभियान को सफल बनाने में महत्ती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इन सभी विषयों को इस योजना के अन्तर्गत विशिष्ट फोक्स गूप के माध्यम से उभारने का प्रयत्न किया गया है।

7.2 जेण्डर संवदेनशीलता :

समाज में व्यास एक विचार जिसका मूल कारण करीब 1000 वर्षों तक भारत की पराधीनता है। कालान्तर में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक सम्मानजनक थी किन्तु इस पराधीनता के कारण समाज में स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु माना जाने वाला एवं उनको परिवार की चारदीवारी में बन्द कर दिया गया।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की इस स्थिति पर विचार किया गया कि समाज में महिलाओं को सम्मान पूर्ण स्थान मिले। समाज में व्यास लिंग–भेद को समाप्त करना एवं महिला–पुरूष को समान दृष्टि से देखना तथा दोनों में समरसता का भाव पैदा होना जेण्डर संवेदनशीलता है। वर्तमान परिस्थिति जन्य लिंग–भेद के कारणों को खोज कर इस तरीके के समाज का निर्माण किया जाएगा कि हर स्तर पर बालक एवं बालिका को समान दृष्टि से देखा जाए एवं उनके विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएगें। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर बैठकें, कार्यशालाएँ एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों एवं बैठकों में जैण्डर संवेदनशीलता के मुद्दे को उभारा जाएगा।

7.3 ब्रिज कोर्स :

ऐसे बालक बालिकाए जो कक्षा 1 से 3 के माध्य ही अध्ययन करते हुए विद्यालय छोड़ चुके हों को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम ब्रिज कोर्स है।

3 माह से लेकर 8–9 माह की अवधि के लिए बालक–बालिकाओं को आवासीय या गैर–आवासीय परिस्थितियों में रखकर निर्धारित अधिगम मंजूषा को पूर्ण करवाया जाता है। चूंकि बालक–बालिकाएँ उम्र में बड़े होते है। अतः इनके सीखने की गति भी पर्याप्त होती है जो कम अवधि में शिक्षण–अधिगम के निर्धारित मानदण्ड को पूरा कर लेते है।

प्रशिक्षित पैराटीचर इन्हें हर संभव सम्बलन देते है तथा उपयुक्त परिस्थितियों उपलब्ध कराकर तीव्र प्रगति में बढ़ने को प्रेरित करते है।प्रति त्रैमास पर मूल्यांकन कर प्रगति से अवगत कराया जाता है।

सर्वे के अतिरिक्त भी शेष बालक–बालिकाओं को लिया जा सकता है एवं निश्चित परिणाम प्राप्त होने पर उचित स्तर की औपचारिक परीक्षा देकर नये सत्र से उन्हें नियमित विद्यालय की कक्षा में प्रवेश दिलाया जाता है।

बड़े उम्र के बालकों को बड़ी कक्षा में प्रवेश लेने का अवसर प्राप्त होता है। सुविधानुसार समय पर पढ़ने का अवसर मिलता है।

सैद्धान्तिक शिक्षा के बजाय व्यावहारिक शिक्षा को विस्तृत अनुभव प्राप्त होता हैं।

प्रतियोगिता से शीघ्र सीखते हैं।

इस कार्यक्रम में केवल से 1 आयुवर्ग की कभी भी विद्यालय नहीं गई अथवा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बर्गर ड्रॉपआउट बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया हैं।

7.4 विकलांग बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा :

शिक्षा आपके द्वार सर्वे अभियान के दौरान सर्वे प्रपत्र में 6 प्रकार के विकलांग बालक–बालिकाओं को चिन्हित किया गया । जिनमें से अधिकांश बालक तो नामांकित हो गए किन्तु विशेष प्रकार की विकलांगता वाले बालक अब तक भी शिक्षा से नहीं जुड

पाए है। सर्वे अभियान के दौरान चिन्हित किए गए नामांकित/अनामांकित विकलांग बालकों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, दानदाताओं एंव परियोजना के बजट प्रावधानों के अनुसार विकलांगता दूर करने हेतु कैम्पों का आयोजन कराकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा एवं जो पूर्व में नामांकित हो चुके है उन्हें विकलांगता के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराकर उनकी नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाएगा। जिले में कुल 564 बालक–बालिका चिन्हित किए गए है।

7.5 अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं के लिए शिक्षा :

अनुसूचित जाति/जन जाति की बालिकाओं के लिए उनकी सुविधानुसार वैकल्पिक विद्यालय खोलकर अथवा उसी समाज के किसी पढ़े–लिखे युवक युवती को प्रति छात्रा 40 रूपये मानदेय एवं 10 रूपये टीएलएमदेकर अध्ययन की व्यवस्था की जाएगी एवं 1 वर्ष में यदि वह युवक अथवा युवती आवंटित छात्र/छात्रा को कक्षा 3 पास करा दे तो विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह कक्षा 8 उत्तीर्ण किए बगैर अथवा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किए बिना पढ़ाई छोड़ गई बालिकाओं को किसी स्वयंसेवक की देखरेख में रखकर प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करवाई जाएगी। इस हेतु 1200 रूपये प्रति छात्र प्रावधान रखा गया है।

7.6 घुमन्तु परिवार के बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा :

घुमन्तु परिवार के बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षण की व्यवस्था हेतु एक ब्लॉक को छोड़ने की सूचना, जिस ब्लॉक में प्रवेश कर रहे है उस ब्लॉक के बीआरसीएफ, को दी जाएगी ताकि वह उस घुमन्तु परिवार के लिए शिक्षण की उचित व्यवस्था कर सकें। इसी प्रकार यदि बच्चे किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित होते हैं तो उनकी पकड़ कार्ड में अंकित लेखा–जोखा द्वारा रखी जाएगी।

7.7 कामकाजी बालक–बालिकाओं के लिए शिक्षा :

कामकाजी बालक–बालिकाओं के लिए उनकी सुविधा के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यदि पशु चराने वाले बालक–बालिका दिन के समय में खेतों या कृषि भूमि में ही अध्ययन करनाा चाहे तो वहाँ पर मोबाईल विद्यालय की व्यवस्था कर पैराटीचर के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

7.8 पलायनवादी बच्चों के लिए शिक्षा :

श्रीगंगानगर जिला सीमान्त होने के कारा युद्ध की आशंका में सीमा पर बसे लोग लम्बे समय के लिए पलायन कर जाते है साथ ही मेहनत–मजदूरी करने वाले परिवारों के लोग परिवार सहित जिले से बाहर मौसमी पलायन करते हैं इन परिवारों के बच्चे इनके साथ की अन्यत्र चले जाते है।मौसमी पलायन साल में दो बार होता हैं अतः इन बच्चों के नियमित उपस्थिति विद्यालयों में नहीं बन पाती है, ये बच्चे कम से कम 6 माह विद्यालय छोड़ कर चले जाते हैं अतः गुणात्मक शिक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः इन परिवारों के लिए संकुल या पंचायत स्तर पर पलायन के समय बच्चों को रोककर शिक्षण कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए गाँव में पढे–लिखे महिला या पुरूष को रखा जाएगा तथा उनके खाने एवं शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

अध्याय-8

अनुसंधान मूल्यांकन एवं प्रबोधन

अध्याय –8
अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रबोधन

8.1 अनुसंधान :

जिले की परिस्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद है अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार विभिन्न विषयों जैसे पाठ्क्रम, कक्षा–शिक्षण, विद्यालय अवलोकन, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाईयों के परिपेक्ष्य में इनके निवारण हेतु क्रियात्मक शोध कर प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं, शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं पर्यवेक्षणकत्ताओं तक पहुंचा कर इनके मार्ग दर्शन करेंगे। शिक्षकों समन्वयकों को क्रियात्मक अनुसांधान सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए डाइट या SIERT से सहयोग लिया जाएगा व क्रियात्मक अनुसंधान के लिए शिक्षकों को आवश्कतानुसार धन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षक डाइट के नेतृत्व में परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्रत्ति स्तर का अध्ययन किया जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की कार्यअवधि की समाप्ति पश्चात किसी सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन एजेन्सी से जिले में बेसलाइन सर्वे सम्पन्न कराया जाएगा जो सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्रगति एवं मूल्यांकन का आधार होगा।

8.2 मूल्यांकन :

यह प्रपत्र मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक होंगे। शाला प्रबन्धन समितियों की मासिक बैठकें और खण्ड शिक्षा समिति की बैठकें भी ग्राम स्तर एवं खण्ड स्तर पर कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं समीक्षा की आधार होगी। विद्यालय स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा शिक्षण, अधिगम एवं पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के उपागम खोजे गए हैं। इन उपागमों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिष्कृत रूप दिया जाएगा तथा शिक्षक प्रशिक्षणों में इन्हें मॉडयूल में सम्मिलित किया जाएगा।

8.3 प्रबोधन :

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की निश्चित समय पर प्राप्ति हेतु सभी स्तरों पर प्रबोधन की व्यवस्था की जाएगी।

शिक्षा प्रबन्धन तंत्र , तंत्र की स्थापना कर प्रतिवर्ष 30 सितम्बर को आधार मानकर विद्यालयों की समस्त प्रकार की शैक्षिक एवं भौतिक सूचनाओं का संकलन किया जाएगा। जो डाइस (निपा द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर) में समेकित किया जाएगा। इस सूचना का विश्लेषण कर प्रतिवर्ष नियोजन, अनुश्रवण एवं पृष्ठपोषण सुनिश्चित किया जाएगा। शाला प्रबन्धन समिति, खण्ड शिक्षा समिति एवं जिलाा शिक्षा समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठकें प्रबोधन को सुदृढ़ आधार प्रदान करेगी।

ग्राम स्तरीय सूचनाओं का संकलन खण्ड स्तर पर एवं खण्ड स्तरीय सूचनाओं का संकलन जिला स्तर पर विश्लेषण किया जाएगा। जिला स्तरीय सूचनाओं की तिमाही रिपोर्ट राज्य को दी जाएगी।

अध्याय-9

प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

अध्याय – 9

प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

9.1 भूमिका :

वर्तमान वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में प्रबन्धन न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि शैक्षिक एवं विकास के अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यक हैं। सुदृढ़ प्रबन्धन से ही किसी कार्यक्रम के निहीत उद्देश्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। कार्यक्रम की गति, मूल्यांकन, प्रगति आदि सुदृढ़ प्रबन्धन पर ही निर्भर हैं।

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की संम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जाएगी। इसकी अवधि 2001 से वर्ष 2010 तक होगी। इस अवधि में 6–14 आयुवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा अभियान की क्रियान्विति स्वरूप राज्य स्त्रोत से लेकर ग्राम स्तर तक सुदृढ़ प्रबन्धकीय ढांचा सुनिश्चित किया गया है। अभियान की अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं कौशल विकसित कर लिया गया।

प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगी और इसमें व्यक्तिगत पहल के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबन्धन लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन–सहभागिता कर सकेगा। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों में परिवर्तन के लिए इसे तत्पर रहना होगा और ये परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें।

सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही एवं दिन–प्रतिदिन के कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण को सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रबन्धन तंत्र के माध्यम से अध्यापकों व छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

9.2 जिला स्तर पर प्रबन्धन :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण तथा कि जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत जिला परियोजना समिति पूर्व से गठित है, इस समिति के अध्यक्ष जिले के जिला प्रमुख हैं तथा समिति के सचिव जिला परियोजना प्रमुख हैं।

समिति का ढांचा निम्नवत है :

जिला प्रमुख, श्रीगंगानगर	अध्यक्ष
जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर	उपाध्यक्ष
विधानसभा सदस्य	सदस्य
लोकसभा सदस्य	सदस्य
पंचायत समितियों के प्रधान	सदस्य
विकास अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
जिला शिक्षा समिति के सभी सदस्य	सदस्य
जिला परियोजना समिति के सदस्य	सदस्य
जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

9.2–1 निष्पादक समिति :

शाषी परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों एवं रणनीतियों की क्रियान्विति के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु जिला परियोजना समिति का गठन किया गया हैं :

- ❖ जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर — अध्यक्ष
- ❖ परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) — उपाध्यक्ष
- ❖ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर — सदस्य
- ❖ अधिक्षण अभियन्ता पीएचईडी, श्रीगंगानगर — सदस्य

❖ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर	सदस्य
❖ जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
❖ प्राचार्य डाईट	सदस्य
❖ कार्यकारी अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी., श्रीगंगानगर	सदस्य
❖ क्षेत्रीय उपनिदेशक, आई.सी.डी.एस., श्रीगंगानगर	सदस्य
❖ परियोजना निदेशक, डब्ल्यू.डी.ए., श्रीगंगानगर	सदस्य
❖ जिला साक्षरता अधिकारी, श्रीगंगानगर	सदस्य
❖ उपनिदेशक (शिक्षा) सेवानिवृत	सदस्य
❖ जिला सांख्यिकी अधिकारी, श्रीगंगानगर	सदस्य
❖ मुख्य परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर	सदस्य
❖ समन्वयक, जिला नेहरू युवा केन्द्र, श्रीगंगानगर	सदस्य
❖ जिला जन सम्पर्क अधिकारी, सूचना केन्द्र, श्रीगंगानगर	सदस्य
❖ जिला परियोजना समन्वयक, डीपीईपी, श्रीगंगानगर	सदस्य सचिव
❖ श्री मंगतराम यादव, जिला मंत्री, पंचायत राज शिक्षक संघ, श्रीगंगानगर	सदस्य
❖ श्री गुरमेल सिंह, अ.ज.ज. एवं पी. शिक्षक संघ, श्रीगंगानगर	सदस्य
❖ श्री राजाराम प्रधानाचार्य, भोपालवाला आर्य सी.सै. स्कूल, श्रीगंगानगर	सदस्य
❖ श्रीमती पुष्पलता शर्मा, प्रधानाचार्य रा.बा.सी.मा.वि., श्रीगंगानगर	सदस्य
❖ जिला परियोजना समन्वयक, डीपीईपी, श्रीगंगानगर	सदस्य सचिव

9.2–2 जिला संदर्भ समूह डीआरजी :

जिले में कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वन, अनुभूत समस्याओं के समाधान एवं सुझाव तथा समय–समय पर समीक्षा हेतु जिला स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में पाँच संदर्भ

समूहों का गठन किया जाएगा। ये समूह सम्बंधित क्षेत्र में प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं गुणवत्ता के संदर्भ में आ रही बाधाओं एवं उनके समाधान के सुझाव समय–समय पर प्रस्तुत करेंगें। जिनके आधार पर विभिन्न कम्पोंनेंट में आवश्यक सुधार परिवर्तन एवं परिवर्धन किए जाएंगे। जिला स्तर पर 5 संदर्भ समूहों का निम्नानुसार गठन किया जाएगा। इस समूहों में आपसी समन्वयक भी स्थापित किया जाएगा।

(1) जिला संदर्भ समूह (प्रशिक्षण) :

1.1 प्राचार्य डाईट, चूनावढ़

1.2 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), श्रीगंगानगर

1.3 जिला सतत एवं साक्षरता अधिकारी, श्रीगंगानगर

1.4 श्री रतन सिंह यादव प्रधानाचार्य, रा.उ.प्रा.वि., श्रीबिजयनगर

1.5 प्रभारी प्रशिक्षण डाईट चूनावढ़

1.6 खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी – 1

1.7 सहायक परियोजना समन्वयक, प्रशिक्षण

1.8 श्री भंवर लाल स्वामी, मुख्य संदर्भ व्यक्ति

1.9 जिला परियोजना समन्वयक, डीपीईपी, श्रीगंगानगर

(2) जिला संदर्भ समूह (पीएफई) :

2.1 प्राचार्य डाईट, चूनावढ़

2.2 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), श्रीगंगानगर

2.3 जिला सतत एवं साक्षरता अधिकारी, श्रीगंगानगर

2.4 डॉ. श्रीमती पुष्पलता शर्मा, प्रधानाचार्य, रा.बा.उं.मा.वि., पदमपुर

2.5 श्री विजयकांत पाठक, शिक्षा प्रसार अधिकारी, श्रीगंगानगर

2.6 श्री पन्ना लाल कड़ेला, खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी, श्रीकरणपुर

2.7 सहायक परियोजना समन्वयक, डीपीईपी, श्रीगंगानगर

2.8 श्री श्याम लाल कुक्कड़, खण्ड संदर्भ केन्द्र, अनूपगढ़

2.9 जिला परियोजना समन्वयक, डीपीईपी, श्रीगंगानगर

(3) जिला संदर्भ समूह (सामुदायिक गतिशीलता) :

3.1 प्राचार्य डाईट चूनावढ़

3.2 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) श्रीगंगानगर

3.3 जिला सतत एवं साक्षरता अधिकारी, श्रीगंगानगर

3.4 जिला जन सम्पर्क अधिकारी, श्रीगंगानगर

3.5 संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी – 1

3.6 जिला समाज कल्याण अधिकारी, श्रीगंगानगर

3.7 श्री वेद प्रकाश शर्मा, खण्ड संदर्भ केन्द्र, सादुलशहर

3.8 सहायक परियोजना समन्वयक, सामुदायिक गतिशीलता, डीपीईपी, श्रीगंगानगर

3.9 जिला परियोजना समन्वयक, डीपीईपी, श्रीगंगानगर

(4) जिला संदर्भ समूह (एकीकृत विकलांग शिक्षा) :

4.1 प्राचार्य डाईट, चूनावढ़

4.2 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), श्रीगंगानगर

4.3 जिला सतत एवं साक्षरता अधिकारी, श्रीगंगानगर

4.4 जिला समाज कल्याण अधिकारी, श्रीगंगानगर

4.5 खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी – 1

4.6 सहायक जिला परियोजना समन्वयक, विकलांग शिक्षा

4.7 प्रधानाचार्य, श्री जगदम्बा अन्धविद्यालय, श्रीगंगानगर (एनजीओ)

(5) जिला संदर्भ समूह (वैकल्पिक शिक्षा) :

5.1 प्राचार्य डाईट, चूनावढ़

5.2 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), श्रीगंगानगर

5.3 जिला सतत एवं साक्षरता अधिकारी, श्रीगंगानगर

5.4 श्री हरचन्द राम गोस्वामी, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि., लालगढ़ जाटान

5.5 श्री जवन्त सिंह, शिक्षाकर्मी सहयोगी, रायसिंहनगर

5.6 श्री सुरेश कौशिक, शिक्षा प्रसार अधिकारी, सूरतगढ़

5.7 श्री मनोहर लाल चावला, एपीसी, (वैकल्पिक शिक्षा)

5.8 खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी – 1

5.9 जिला परियोजना समन्वयक, डीपीईपी, श्रीगंगानगर

9.2–2 जिला परियोजना कार्यालय :

समिति द्वारा निर्धारित नीतियों एवं रणनीतियों के क्रियान्वन स्वरूप पूर्व से ही डीपीईपी के तहत जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय जिला स्तरीय कार्यालय के रूप में स्थापित है। इस कार्यालय का गठन इस प्रकार है :

क्र.सं.	पद का नाम	
1.	जिला परियोजना समन्वयक	1
2.	कार्यक्रम अधिकारी (ए.पी.सी.)	3
3.	सहायक लेखाधिकारी	1
4.	लेखाकार	1
5.	सिविल वर्क्स इन्चार्ज	1
6.	कार्यक्रम सहायक	3
7.	क्लर्क कम कैशियर	1
8.	कनिष्ठ अभियन्ता	9
9.	प्रबन्ध सूचना तंत्र प्रभारी	1
10.	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी	1
11.	अनुसंधान सहायक	1
12.	टाइपिस्ट कम स्टेनो	1
13.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अनुबंध पर	2

14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5
15.	वरिष्ठ सलाहकार अनुबन्ध पर	1
16.	कनिष्ठ सलाहकार अनुबन्ध पर	1

सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वन हेतु अवस्थित कार्यक्रम के स्वीकृत उपरोक्त पदों के अतिरिक्त निम्नांकित पदों की अतिरिक्त आवश्यकता रहेगी। इन हेतु पदों का सृजन किया जाएगा।

क्र. सं.	पद का नाम	पद
1.	सहायक परियोजना समन्वयक	1
2.	वरिष्ठ लिपिक	1
3.	कार्यालय सहायक (ओए)	1

जिला स्तरीय अवस्थित कार्यालय को निम्नानुसार उपकरण आदि उपलब्ध कराए जाएंगे :

1.	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	1
2.	दूरभाष	2
3.	मोबाईल फोन	1
4.	फर्नीचर	1 लाख रूपये
5.	फोटो कॉपीयर्स	1
6.	इन्टरनेट कनैक्शन	1

9.2–3 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) कार्यालय :

सम्प्रति शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में सुविधाओं का अभाव है जिसके कारण जिला प्रभारी पर कार्यभार अधिक रहता है एवं बैठकों प्रशिक्षणों एवं

विद्यालय अवलोकनों में समय नहीं निकाल पाते। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वन हेतु निम्नांकित सुविधाएं जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है :

1.	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	1
2.	फैक्स	1
3.	फोटो कॉपीयर्स	1
4	टेलिफोन	1 निवास

9.2.–4 ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (बीआरसी) :

श्रीगंगानगर जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1997 से प्रारम्भ हो चुका है एव इस कार्यक्रम के तहत सभी 9 विकास खण्डों में खण्ड संदर्भ केन्द्र स्थापित हो चुके हैं एवं इनके लिए बी.आर.सी. भवन भी निर्माणाधीन हैं 9 विकास खण्ड संदर्भ केन्द्रों के विरूद्ध 3 खण्ड प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं तथा शेष पद अभी रिक्त हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर संदर्भ व्यक्तियों (विषयवार–4) नियुक्ति की जाएगी तथा शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्धन के सार्थक प्रयास किए जाएंगे। प्रायः यह देखा गया हैं कि बी.आर.सी. समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण, संकलन व विश्लेषण में व्यय होता है।

खण्ड कार्यालय के सुदृढ़ीकरण एवं कार्यक्रमों की समयबद्ध एवं नियोजनबद्ध क्रियान्वति हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत कार्यरत स्टॉफ के अतिरिक्त निम्नांकित पदों की आवश्यकता होगी। जिसके लिए पदों का सृजन किया जाएगा।

क्र.सं.	कार्यरत स्टाफ	स्वीकृत	अतिरिक्त आवश्यकता
1.	बीआरसीएफ	1	...
2.	संदर्भ व्यक्ति	3	...
3.	कनिष्ठ लेखाकार	–	1
4.	कार्यालय सहायक	1	1
4.	सहायक	1	1
5.	कनिष्ठ लिपिक	1	1

अभियान के तहत बी.आर.सी.एफ. कार्यालय को निम्नानुसार सुविधाएं और प्रदान की जाएंगी :

1.	टीवी. वीसीडी.	1
2.	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	किराए पर
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1
4.	कार्यालय सहायक	1

9.2–4 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी :

चूंकि औपचारिक विद्यालयों के अभिकरणों का खण्ड स्तर पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का कार्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। वर्तमान में खण्ड कार्यालय पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में इतने सुदृढ़ नहीं हैं कि वे नियमित पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कर सकें। इन कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी :

1.	टेलिफोन	1
2.	फोटो कॉपीयर्स	1
3.	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर किराये पर	1
4.	मोटर साईकिल भत्ता	अधिकतम 1000 रूपये अथवा 1 रूपये प्रति किमी, जो भी कम हो

सुविधाओं में वृद्धि से विद्यालयों के नियमित अवलोकन एव पर्यवेक्षण को बल मिलेगा।

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र के कार्य एवं दायित्व :

1. अध्यापकों (प्राथमिक एवं उच्च) को अभिनीवनीकरण एवं विषयगत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
2. विद्यालयों का शैक्षिक पर्यवेक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन आनन्ददायी विधियों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं।
3. विकास खण्ड की शैक्षिक आवश्यकताओं का आंकलन कर सूक्ष्म नियोजन के आधार पर पूर्ति के प्रस्ताव तैयार करना।
4. खण्ड स्तर पर शैक्षिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. संकुल संदर्भ केन्द्र एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में काम करना।
6. खण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ समुचित समन्वयन कर शैक्षिक नियोजन तैयार करना एवं इसकी क्रियान्विति को सुनिश्चित करना।
7. विकास खण्ड की शैक्षिक स्थिति का कम्प्यूटरीकृत तैयार करना।
8. संकुल संदर्भ केन्द्रों का पर्यवेक्षण कर सम्बलन प्रदान करना।
9. सूचनाओं को आंकलन एवं विश्लेषण करना तथा सुधार के उपया ढूंढना। शैक्षिक अनुसंधान का कार्य करवाना।
10. ब्लॉक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकत्रीकरण व सैम्पल चैकिंग कर अनुश्रवण करना।
11. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों (शिक्षक/आँगनबाड़ी, ग्राम शिक्षा समिति, जन प्रतिनिधि) का पर्यवेक्षण कर सम्बलन प्रदान करना।
12. खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी ब्लॉक स्तरीय समस्त गतिविधियों के आयोजन एवं क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी होगा।

9.3 खण्ड शिक्षा समिति :

जिले की भांति ही प्रत्येक खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण एवं अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी।

खण्ड शिक्षा समिति में निम्नांकित पदाधिकारी सम्मिलित हैं :

❖ सम्बंधित पंचायत समिति प्रधान	अध्यक्ष
❖ ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)	उपाध्यक्ष
❖ बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
❖ प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमि विद्यालय	सदस्य
❖ शिक्षाविद्	सदस्य
❖ प्रचेता बाल विकास परियोजना कार्यालय	सदस्य
❖ सरपंच ग्राम पंचायत (अधिकतम 3, जिनमें 2 महिला आवश्यक हों)	सदस्य
❖ पंचायत समिति सदस्य (अधिकतम 2, जिनमें 1 महिला)	सदस्य
❖ जिला परिषद सदस्य (2 सदस्य, जिनमें 1 महिला)	सदस्य
❖ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सम्बंधित पी.एच.सी.	सदस्य
❖ खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी	सदस्य

इनमें कम से कम एक–तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति के होगें।

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लॉक संसाधन केन्द्र एवं संकुल संसाधन केन्द्रों के बीच समन्वयन स्थापित करना, जिला परियोजना समिति के निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित करना एवं खण्ड संकुल तथा ग्राम स्तर की गतिविधियों का प्रभावी

क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समिति एवं जिला परियोजना शिक्षा समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी।

9.4 संकुल संदर्भ केन्द्र :

जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के तहत प्रत्येक 15–20 प्राथमिक विद्यालयों पर सभी 150 संकुल संदर्भ केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। 142 केन्द्रों पर संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है एवं प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इन्हें प्रतिवर्ष के प्रशिक्षणों के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जाएगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. संकुल क्षेत्र के विद्यालयों का शैक्षिक पर्यवेक्षण कर शैक्षिक सम्बलन पदान करना।
2. संकुल क्षेत्र की शाला प्रबन्धन समितियों का प्रतिवर्ष 3 दिन का प्रशिक्षण आयोजित करना एवं सबलीकरण करना।
3. संकुल क्षेत्रों में सामुदायिक गतिशीलता की गतिविधियों, बाल मेलों, महिला बैठकों, कला जत्था, प्रचार–प्रसार एवं अन्य नवाचार युक्त गतिविधियों का आयोजन कर शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
4. संकुल क्षेत्र के समस्त अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चे का शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना।
5. ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से संकुल में प्रत्येक बालक–बालिका के नामांकन/ठहराव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को सुनिश्चित करना।
6. संकुल क्षेत्र की सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करना।
7. संकुल क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं का आंकलन करना।

9.5 विद्यालय प्रबन्धन समिति :

जिले में प्रत्येक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं राजीव गाँधी पाठशालाओं की 1950 शाखा प्रबन्धन समितियों का गठन डीपीईपी के तहत किया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान में एसएमसी के प्रशिक्षणों एवं अनुश्रवण बैठक के माध्यम से सफल बनाया जाएगा। समिति में निम्नांकित सदस्य है :

- संबन्धित वार्ड जिसमें प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यक्ष
  अवस्थित है का वार्ड पंच या सरपंच
- शिक्षक अभिभावक संघ/ मातृ अभिभावक संघ के प्रतिनिधि सदस्य
- सेवानिवृत शिक्षक विद् या अध्यापक शिक्षाविद् सदस्य
- सामाजिक कार्यकर्त्ता, आँगनबाडी कार्यकर्त्ता सदस्य
- महिला चैतन्यकर्मी सदस्य
- विद्यालय का प्रधानाध्यापक सदस्यसचिव

इस समिति में एक तिहाई सदस्य महिलाएँ होंगी। प्रत्येक समिति को 200 रूपये समिति के गठन हेतु दिए जांएगे।

कार्य एवं दायित्व :

ग्राम में समस्त बालक–बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर 2007 तक उनकी प्राथमिक शिक्षा एवं 2010 तक कोटिपूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।

अध्याय-10
निर्माण कार्य

अध्याय – 10
निर्माण कार्य

10.1 भूमिका :

ये अध्याय जिले में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं राजीव गाँधी पाठशालाओं एवं अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं में सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्माण कार्यों से सम्बंधित हैं। प्रारम्भिक शिक्षा में ढांचागत सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना एवं प्रक्रिया का इस अध्याय में उल्लेख किया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा की शिक्षण संस्थाओं में आधारभूत सुविधाओं का अभाव प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की पूर्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। अतः निर्माण कार्यों से भौतिक सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। सर्व शिक्षा अभियान में 33 प्रतिशत राशि निर्माण कार्यों पर व्यय की जाएगी। इससे अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति जनसहयोग एवं अन्य संस्थाओं से सहयोग लेकर की जाएगी।

10.2 विद्यालय भवनों का निर्माण :

जिले में वर्तमान में 34 प्राथमिक विद्यालय एवं 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास स्वयं के भवन नहीं हैं। अतः इन भवनों का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के तहत कराया जाएगा। शिक्षा गारन्टी योजना स्कीम के तहत जिले में संचालित 360 राजीव गाँधी पाठशालाओं में से 64 पाठशालाएँ भवन रहित है। वर्ष 2003 में इन पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। अतः इसी वर्ष में 64 राजीव गाँधी पाठशालाओं के नए भवनों का निर्माण करवाया जाएगा, ये भवन 2 कक्षीय एवं 3 कक्षीय होगें एवं शौचालय–मूत्रालय एवं पेयजल की सुविधा भवन निर्माण के साथ ही की जाएगी।

वर्ष	भवनों की संख्या
2002–03	
2003–04	29
2004–05	46
2005–06	78
2006–07	13
कुल	126

10.2.1 दो कक्षीय भवनों का निर्माण

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
संख्या	–	10	10	10	15
लागत	–	2.56	2.56	2.56	2.56

10.2.1 तीन कक्षीय भवनों का निर्माण

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
संख्या	–	29	46	38	13
लागत	–	3.60	3.60	3.60	3.60

नव निर्मित भवनों में शौचालयों एवं मूत्रालयों तथा पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाएगी। ये भवन तीन कक्षीय होगें ।

10.3 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण :

जिले में जिला प्राथमिक कार्यक्रम के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 116 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण करवाया जा चुका है। परन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अभी भी पर्याप्त कक्षा–कक्षों का अभाव है। अतः

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 6 एवं अतिरिक्त कक्षा वर्ग होने पर वर्गवार अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण करवाया जाएगा। कालान्तर में 2010 तक नामांकन के आधार पर आवश्यकतानुसार कक्षा–कक्षों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में 344 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष प्राथमिक विद्यालयों में 334 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 24 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष राजीव गाँधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं व वैकल्पिक विद्यालयों में बनाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार 2007 तक 630 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण करवाया जाएगा। परियोजना अवधि में कुल 630+45 (दो कक्षीय) अतिरिक्त कक्षा–कक्ष सर्व शिक्षा अभियान में शेष डीपीईपी के तहत बनवाया जाएगा।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
संख्या	–	80	150	200	200
लागत	–	1.2	1.2	1.2	1.2

10.4 शौचालयों का निर्माण :

सर्व शिक्षा अभियान में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक विद्यालय में बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग प्रसाधन सुविधाएं उपलब्ध हों। वर्तमान में बहुत कम विद्यालयों में प्रसाधन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। अतः अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 913 व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 339 एवं अन्य में 296 की आवश्यकता है। इस प्रकार कुल 900 प्रसाधन सुविधाओं का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के तहत करवाया जाएगा। शेष अन्य परियोजनाओं से निमित्त करवाए जायेंगें ।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
संख्या	100	200	300	500	548
लागत	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

10.5 उच्च प्राथमिक विद्यालयो में प्रधानाध्यापक कक्षों का निर्माण –

अभियान के तहत विभिन्न चरणों में चिन्हित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों जहां प्रधानाध्यापक कक्षों का आभाव हैं, वहां प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण कराया जाएगा । अभियान अवधि में कुल 300 प्रधानाध्यापक कक्षों का निर्माण कराया जाएगा ।

वर्ष	प्रधानाध्यापक कक्षों की संख्या
2003–04	50
2004–05	75
2005–06	75
2006–07	100
योग	300

10.6 जल सुविधा :

विद्यालयों में शुद्ध पेयजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं में निम्नानुसार पी.एच. ई.डी. कनैक्शन की व्यवस्था की जायेगी ।

किए गए आंकलन में 1329 पानी सुविधाओं की आवश्यकताओं के विरूद्ध 469 पीएचईडी कनेक्शन का प्रस्ताव किया गया है शेष की आपूर्ति जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं के तहत की जाएगी।

विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक व अन्य प्रकार के विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में सम्प्रति 1329 पेयजन सुविधाओं की आवश्यकता है जिसकी आपूर्ति निम्नानुसार की जाएगी :

पेयजल सुविधा का प्रकार	वर्ष
2003–04	22
2004–05	30
2005–06	40
2006–07	50
योग	142

10.7 ईसीई रूम :

अलग से ईसीई भवनों का निर्माण नहीं करवाया जाएगा। उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही संचालित किया जाएगा।

10.8 खण्ड संदर्भ केन्द्र भवनों का निर्माण :

जिले में डीपीईपी के तहत सभी 9 बीआरसी भवनों का निर्माण कार्य संचालन में है। अतः बीआरसी भवनों का निर्माण नहीं करवाया जाएगा।

10.9 सीआरसी भवनों का निर्माण :

डीपीईपी के तहत 142 सीआरसी भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अतः शेष 8 सीआरसी में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण डीपीईपी के तहत किया जाएगा।

10.10 डाईट में निर्माण :

डाईट में ढांचागत विकास एवं क्षमतागत विकास हेतु आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर कक्ष एवं अन्य उपकरणों के रख–रखाव हेतु कमरों का निर्माण करवाया जाएगा।

10.11 खेल मैदानों का निर्माण :–

अभियान के तहत बालक–बालिकाओं के सर्वांगीण विकास एवं खेल प्रवृति को बढ़ावा देने हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल मैदानों का निर्माण कराया जाएगा । वर्षवार इनकी स्थिति निम्नानुसार रहेगी ।

वर्ष	संख्या
2003–04	50
2004–05	100
2005–06	200
2006–07	200
कुल योग	550

अध्याय-11

योजना लागत

अध्याय – 11

योजना लागत

11.1 योजना लागत :

जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1998 से संचालन में है । अतः संस्थागत ढांचा मामूली परिवर्ततन के साथ वहीं रखा गया है । सर्व शिक्षा अभियान एक सम्पूरक व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा । जिला खण्ड एवं संकुल स्तरीय कार्यशाील ईकाइयों को दृष्टिगत रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान में निर्माण वेतन सामुदायिक गतिविधियों एवं शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु नवीन ईकाईयों की ईकाई लागतों का निर्धारण किया गया है ।

11.2 निर्माण लागत :

(अ) जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत 9 खण्ड संदर्भ केन्द्रों पर 142 संकुल संदर्भ केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा करवा दिया गया है अथवा प्रगति पर है । सर्व शिक्षा अभियान आवश्यकता के आधार पर संकुल सदर्भ केन्द्र और स्थापित किए गए है अतः 8 सी.आर.सी. भवनों का निर्माण प्रस्तावित है । इनका निर्माण डी.पी.ई.पी. के तहत किया जाएगा ।

(ब) जिले में 34 प्राथमिक व 6 उ.प्रा.वि. भवन विहीन है । अतः प्रत्येक प्रा.वि. के लिए 2 कक्षीय व प्रत्येक उ.प्रा.वि. के लिए 3 कक्षीय भवन निर्मित किए जायेगें ।

आवश्यकता

विद्यालय का प्रकार	संख्या	राशि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	6	
प्राथमिक विद्यालय	34	
राजीव गांधी पाठ.	64	
अन्य ए.एस.एस. के	155	
योग	259	

प्रस्तावित

कुल 2 कक्षीय विद्यालय	45	2.56 प्रति इकाई
कुल 3 कक्षीय विद्यालय	126	3.60 प्रति इकाई

शेष भवनों का निर्माण अन्य योजनाओं के तहत कराया जाएगा ।

(स) अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण :

जिले में सर्व शिक्षा अभियान की कार्यविधि में 930 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराया जाएगा । अतिरिक्त कक्षा–कक्ष मय बरामदा की ईकाई लागत 1.2 लाख रूपये निर्धारित की गई है । इन अतिरिक्त कक्षा कक्षों मे प्रधानाध्यापक कक्षों की संख्या भी सम्मिलित है ।

(द) रैम्पस निर्माण :–

जिले में विकालंग बच्चों की सुविधा हेतु चिन्हित किए गए 350 विद्यालयों में रैम्प निर्माण का कार्य करवाया जाएगा । प्रति रैम्प निर्माण पर 20 हजार रूपये लागत आएगी ।

(य) शौचालयों का निर्माण :–

शौचालयों के निर्माण कराए जायेगें । इस प्रकार कुल 1548 शौचालयों एवं मूत्रालयों का आंकलन किया गया है । जिस पर प्रति इकाई 10000 रूपये लागत आएगी । सर्व शिक्षा अभियान के तहत 950 शैचालयों का निर्माण करावाया जाएगा ।

(र) जल सुविधा :

प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के विद्यालयों में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु 1329 पी.एच.ई.डी. कनैक्शन की आवश्यकता का आंकलन किया गया है । इन पर निम्नानुसार लागत आएगी ।

क्र.स.	जल सुविधा का प्रकार	ईकाई संख्या	ईकाई लागत
1	पी.एच.ई.डी. कनैक्शन	1329	0.2 लाख

अभियान के तहत 142 की आपूर्ति की जाएगी, शेष की आपूर्ति डी.पी.ई.पी. द्वारा की जायेगी ।

(ल) वैकल्पिक विद्यालयों के लिए भवन :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत 120 वैकल्पिक विद्यालयों के लिए योजना अवधि में 120 निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया गया था । सीमा के कारण ऐसा नहीं हो पाया । सर्व शिक्षा अभियान में इन विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में बदला जाएगा । अतः 180 वैकल्पिक विद्यालयों में निर्माण की आवश्यकता का आंकलन है । ये भवन 2 कक्षीय होगें तथा प्रति विद्यालय 2.56 लाख की लागत आएगी । ऐसे वैकल्पिक विद्यालय जहां नामांकन 100 अथवा अधिक है वहां प्राथमिक विद्यालय की तरह नये भवन का निर्माण किया जाएगा । ये निर्माण डी.पी.ई.पी. के तहत करवाए जायेगें ।

अभियान की पूरी अवधि में 119 प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्थाओं को उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा । वर्ष में प्रति विद्यालय एक

प्रधानाध्याक व 1 अध्यापक के पदों का सृजन का प्रावधान किया गया है एवं प्रथम वर्ष में 6 माह के वेतन की लागत का आंकलन किया गया है । इस प्रकार क्रमोन्नत विद्यालयों पर निम्नानुसार लागत आएगी :

क्र.स.	प्रकार	ईकाई संख्या	ईकाई लागत
1	टी.एल.ई. (शिक्षण अधिगम उपकरण)	46 वर्ष (वर्ष 2003–04)	0.5 लाख
2	वेतन प्रधानाध्यापक	46 वर्ष (वर्ष 2003–04)	0.9 लाख
3	वेतन अध्यापक	46 वर्ष (वर्ष 2003–04)	0.63 लाख

2003–04 से चरणबद्ध तरीके से क्रमोन्नत किए जाने विद्यालयों में पदों एवं टी.एल.ई. की गणना उपरोक्त आधार पर की जाएगी ।

11.3 प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति :

प्रत्येक 3 कि.मी. की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं होने पर अवस्थित प्राथमिक विद्यालय जिसमें छात्र संख्या कक्षा 5 में 15 हो, को उच्च प्राथमिक विद्यालये में क्रमोन्नत किया जाएगा । इस प्रकार अभियान अवधि में कुल 119 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा ।

11.4 शिक्षा गारन्टी केन्द्रों/वैकल्पिक विद्यालयों की प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 तक समस्त ई.जी.एस. केन्द्रों (वैकल्पिक विद्यालय/शिक्षाकर्मी/राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशाला) को प्राथमिक विद्यालय में तब्दील कर दिया जाएगा । जिले में वर्तमान में 385 राजीव गाँधी, 180 वैकल्पिक विद्यालय एवं 28 शिक्षाकर्मी स्कूल/स्वीकृत/संचालन में हैं । इन पाठशालाओं को चरणबद्ध तरीके से

प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा । राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में तब्दील किया जाएगा । प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन करने के वर्ष में इन विद्यालयों को निम्नानुसार सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । अभियान के तहत वर्ष 2006–07 तक कुल 184 प्राथमिक शिक्षा व्यवस्थाओं को उच्च प्राथमिक स्तर में तब्दील किया जाएगा ।

शिक्षा अधिगम उपकरण – 0.1 लाख

इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में 1 नियमित शिक्षक व 2 पैराटीचर की नियुक्ति की जायेगी ।

11.5 शिक्षा गान्टी योजना :

प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं को शिक्षण समग्री उपलब्ध कराई जाएगी । योजना अवधि में 50920 बालक–बालिकाओं को सुविधा उपलब्ध रहेंगी । प्राथमिक कक्षाओं में इस पर 845 रूपये प्रति छात्र प्रतिवर्ष लागत आएगी ।

वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत ऐसे घुमन्तु, स्ट्रीट बच्चे अथव मजदूरी कार्य में लगे बच्चों को स्वयंसेवक को उचित मानदेय पर लगाकर प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराई जाएगी । इस कार्य में 845 रूपये प्रति बालक–बालिका प्रतिवर्ष लागत आएगी । इस कार्यक्रम में विभिन्न जगह ई.जी.एस. केन्द्र खोलकर 1600 बालक–बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी ।

11.6 अतिरिक्त पैराशिक्षकों की नियुक्ति :

अभियान के तहत जिन ई.जी.एस. केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों में तब्दील किया जाएगा । वहां क्रमोन्नति वर्ष में नियमित अध्यापक व 2 अतिरिक्त पैराटीचर की नियुक्ति की जाएगी ।

इस प्रकार अभियान अवधि में चरणबद्ध तरीके से निम्नानुसार ई.जी.एस. केन्द्र तब्दील होगें, जिनमें अतिरिक्त पैराटीचर की नियुक्ति होगी ।

क्र.स.	वर्ष	संख्या	पैराटीचर
1	2003–04	39X 2	78
2	2004–05	39 x 2	78
3	2005–06	67 x 2	134
4	2006–07	39 x 2	78
	कुल	184 x 2	368

प्रथम वर्ष में नियुक्त प्रति अध्यापक 0.84 व प्रति पैराटीचर 0.18 लाख लागत आएगी ।

11.7 विद्यालयों का रख–रखाव :

जिले में 1122 प्राथमिक एवं 437 उच्च प्राथमिक तथा 28 अन्य प्रकार के विद्यालय हैं । तदन्तर में अभियान के तहत 180 वैकल्पिक विद्यालयों को भी प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा दिया जाएगा । इस प्रकार इन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रख रखाव हेतु प्रतिवर्ष 5000 रूपये दिए जायगें । इन 5000 रूपयों को निम्न प्रकार से व्यय किया जाएगा :

1.	विद्यालय भवन की सामान्य टूट–फूट की मरम्मत	2000/–
2.	भवन की रंग–रोगन, सफेदी	1000/–
3.	खेल सामग्री, मैदान आदि	1000/–
4.	विद्यालय साज–सज्जा	1000/–
	कुल	5000/–

जिन प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्त किया जाएगा इस संदर्भ वर्ष में क्रमोन्त विद्यालय को स्कूल सुविधा अनुदान 200/– रूपये नहीं दिए जाने का प्रावधान किया गया है ।

11.8 सामुदायिक गतिशीलता :

सामुदायिक गतिशीलता की गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रत्येक गांव को 1000 रू दिये जायेंगें ।

क्र.स.	गतिविधि	कुल इकाई	दर प्रति इकाई
1	सामुदायिक गतिशीलता की गतिविधियाँ इत्यादि (प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में)	1611	1000
2	सामग्री निर्माण (जन–जागृति)	1	5000
3	शाला प्रबन्धन समितियों का प्रशिक्षण (2 दिन)	437X8	60 रूपये प्रति संभागी
4	भवन निर्माण समितियों का प्रशिक्षण	437X3	30 रूपये प्रति संभागी

11.9 गुणात्मक शिक्षा :

(अ) शाला सुविधा अनुदान :

प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अन्य प्रकार के विद्यायलयों को प्रतिवर्ष 2000 रूपये अनुदान राशि दी जाएगी । जिससे विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी । सत्र 2004–05 तक प्राथमिक विद्यालयों में इस राशि की पूर्ति जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा की जाएगी एवं तदन्तर में यह अनुदान अभियान के तहत दिया जाएगा ।

(ब) शिक्षण अधिगम सामग्री :

आनन्ददायी एवं क्रियाशील शिक्षण हेतु प्रत्येक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एंव अन्य प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को आनंददायी शिक्षण हेतु अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 500 रू. प्रदान किए जाएगें । सत्र 2004–05 तक प्राथमिक एवं अन्य प्राथमिक व्यवस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों को सन्दर्भित राशि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा प्रदान की जाएगी । तदन्तर में जिला प्राथमिक शिक्षा

कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात सभी विद्यालयों में यह राशि सर्व शिक्षा अभियान के तहत दी जाएगी ।

(स) कक्षा 6 से 8 के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें :

सम्प्रति कक्षा 1 से 5 तक समस्त को एवं कक्षा 6 से 8 तक बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं । सर्व शिक्षा अभियान में कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जायेंगी । जिस पर 100 रूपये छात्र लागत आएगी । जिले में कुल 10000 बालकों का आंकलन किया गया है ।

(द) पुस्तकालय अनुदान :

अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायत पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी । जिसमें बालपयोगी, सन्दर्भ्य साहित्य, जीवनियां इत्यादि ज्ञानोपयोगी सामाजिक, धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी । जिले की सभी 320 पंचायतों में यह व्यवस्था लागू होंगी । इस व्यवस्था में प्रति वर्ष 2000/– दिए जायेगें । ये पुस्तकालय पंचायत मुख्यालय की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में संचालित होगें ।

(य) प्रशिक्षण :

शिक्षकों में क्षमता विकास एवं क्रियाशील आनन्ददायी शिक्षय हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को कक्षा 6 से 8 का विषयगत कुल 20 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें प्रति संभागी 70 रूपये प्रतिदिन लागत लाएगी।

क्र.सं.	प्रशिक्षण अवधि	कुल यूनिट	लागत प्रति यूनिट
1.	9 दिन	1712	.063 लाख
2.	3 दिन का शिक्षण अधिगम निर्माण प्रशिक्षण	1712	.021 लाख
3.	8 रिव्यू एवं प्लानिंग मीटिंग	1712	.056 लाख

इसी तरह नवनियुक्त होने वाले पैराशिक्षको व अध्यापकों को कुल 30 दिन का आधारभूत व विषयगत प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें 70 रूपये प्रतिदिन प्रति सम्भागी लागत आएगी।

ब्लॉक वार तीन–तीन संदर्भ व्यक्तियों (कुल 9x3x3=27) के प्रशिक्षण पर 100 रूपये प्रति संभागी प्रतिदिन लागत आएगी। संदर्भ व्यक्तियों को 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

एक दिन के भवन निर्माण समिति (उच्च प्राथमिक विद्यालय) के प्रशिक्षण में 30 रूपये प्रति सम्भागी प्रतिदिन लागत निर्धारित की गई है।

11.10विशिष्ट फोकस ग्रुप की शिक्षा :

(अ) ब्रिज कोर्स :

बड़ी उम्र के अनामांकित एवं ड्राप आउट बालिकाओं के लिए सेतु पाठ्यक्रम आवासीय शिविर चलाकर उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। तीन–तीन माह के विशेष पाठ्यक्रम पैकेज के आधार पर 1 वर्ष की अधिकतम अवधि में संतोषपद्र स्तर के लिए 1.7 लाख लागत का आंकलन किया गया है। जिले में कुल 48 शिविर लगाए जाएंगे। इसी तरह विशेष पैकेज के आधार पर जिले में चिहिन्त स्थानों पर 32 आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित कर इस विशिष्ट आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराई जाएगी।

अनावासीय ब्रिज कोर्स पर प्रति तीन माह 0.3 लाख की लागत का आंकलन किया गया हैं।

वर्ष 2002–03 में ब्लॉकवार 10 ब्रिज कोर्स संचालित किए जाएंगे जिसमें शिक्षा आपके द्वार में सर्वेक्षित हार्ड कोर ग्रुप की इन विशिष्ट बड़ी उम्र की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा।

(ब) एकीकृत विकलांग शिक्षा :

जिले में नामांकित/अनामांकित विकलांग बालक–बालिकाओं को चिहिन्त कर उन्हें साधन/उपकरण उपलब्ध करवाकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर रखा जाएगा। अतः प्रत्येक बालक/बालिका पर 1200 रूपये लागत आएगी।

(स) अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की शिक्षा :

इस वर्ग के किन्हीं कारणों से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किए बिना घर बैठे बालक–बालिकाओं को एक जगह रोककर उनकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराई जाएगी। इसके लिए ग्राम या पंचायत स्तर पर प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किए बिना घर बैठे या मजदूरी कर रहे बालकों को स्वयंसेवक पैराटीचर लगाकर प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराई जाएगी। इसी तरह कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठयपुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस पर प्रतिवर्ष 0.00845 लाख लागत आएगी। जिले में शिक्षा आपके द्वार में चिन्हित एवं सर्वेक्षण से छूटे बालक–बालिकाओं को पुनः चिन्हित कर इन्हें प्राथमिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा ।

(द) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्प संख्यक बालिकाओं की शिक्षा :

इस वर्ग की अध्ययनरत बालिकाओं को शिक्षण सामग्री बैग इत्यादि के बतौर 100 रूपये प्रतिवर्ष प्रति बालिका दिए जाएंगे।

(य) व्यावसायिक कक्षाओं का आयोजन :

जिले में कुल 9 विकास खण्डों में व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र प्रतिवर्ष चलाए जाएंगे। जिसमें हस्तकला, चित्रकारी, मोम व साबुन बनाना, चाक स्टिक बनाना एवं अन्य लघु व्यवस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रति व्यवसाय केन्द्र पर प्रतिवर्ष .250

लाख की लागत आएगी। एक व्यावसायिक केन्द्र पर कम से कम 100 बालिकाएँ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी।

(र) पलायनवादी परिवारों के बच्चों की शिक्षा :

जिले में सीमा पर स्थित गाँवों के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़े परिवार काम के मौसम में अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। अतः उनके बच्चों को उसी गाँव में रोककर विद्यालय में नियमित रखा जाएगा। प्रतिवर्ष 400 बच्चों को गाँवों में किसी स्वयंसेवक की देखरेख में रखे जाएंगे। इस पर प्रति बालक 845 रूपये की लागत आएगी।

(ल) कामकाजी बच्चों की शिक्षा :

दिन में फैक्ट्ररियों में अथवा किसी के घर पर काम करने वाले बच्चों को चिहिन्त कर उनके शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसमें विशिष्ट जगहों पर बच्चों के काम के समय के आधार पर शिक्षण केन्द्र चलाए जाएंगे। इस पर प्रति बालक–बालिका 845 रूपये की लागत प्रतिवर्ष प्रतिभागी आएगी। जिले में कुल 1500 बच्चों को इन शिक्षण केन्द्रों से जोड़ा जाएगा।

कई बार विशेष अभियानों (राज्य सरकार अथवा परियोजनाओं) के तहत विशिष्ट प्रकार के कामकाजी, मिलों अथवा फैक्ट्ररियों में कार्य करने वाले अथवा घरेलू नौकर एक बार शिक्षा व्यवस्था से जुड़ जाते हैं परन्तु थोड़े ही समय पश्चात पुनः परिस्थितियोंवश पलायन अथवा ड्राप आउट की श्रेणी में आ जाते हैं। इससे अपव्यय एव अवरोधन बढ़ता है। अतः इस प्रकार के विशिष्ट कठिन समूह के लिए भी उनके काम के समय को ध्यान में रखते हुए उन्हीं केन्द्रों पर रखकर प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराने का सुनिश्चियन किया गया है।

11.11 शोध, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण :

शैक्षिक समस्याओं पर शोध एवं संस्थाओं के मूल्यांकन तथा अनुश्रवण हेतु प्रति विद्यालय 1400 रूपये की लागत का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2003–2004 तक 1199 प्राथमिक विद्यालयों पर शोध कार्यों एवं पर्यवेक्षणों एवं मूल्यांकन पर राशि खर्च की जाएगी व 2004–2005 के बाद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की कार्यविधि समाप्त होने के कारण समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन तथा अनुश्रवण में 1400 रूपये प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष व्यय किये जायेगें ।

संचालित संस्थागत ढांचे में पूर्व में सृजित पद ही कार्य करते रहेंगे।

11.12 वेतन :

जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पिछले पाँच सालों से कार्यरत है एवं जिला, खण्ड, संकुल एवं विद्यालेय स्तर की इकाईयां कार्यक्रम के निहित उद्देश्यों को इन्हीं एजेन्सियों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। अतः अवस्थित ढांचा ही कार्य करेगा, जिनके वेतन भत्ते पूर्व में निर्धारित हैं। जिला प्राथमिक एवं खण्ड कार्यालयों में अभियान की सफल क्रियान्विति हेतु कुछ अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा, साथ ही आवश्यक उपकराणों एवं संसाधनों में भी वृद्धि की जाएगी । जिसक विवरण इस प्रकार है ।

जिला कार्यालय

अतिरिक्त पद	संख्या	लागत
1 सहायक परियोजन समन्वयक	1	2.04
2 कम्पयूटर ऑपरेटर (अनुबंध पर)	2	0.48
3 वरिष्ठ लिपिक	1	0.84

अतिरिक्त उपकरण/संसाधन	संख्या	लागत
1 कम्पयूटर	2	
2 वाहन किराये पर	2	1.50

खण्ड कार्यालय

अतिरिक्त पद	संख्या	लागत
1 कनिष्ठ लेखाकार	1	1.08
2 कनिष्ठ लिपिक	2	0.60
3 कम्पयूटर ऑपरेटर (अनुबंध पर)	1	0.48

अतिरिक्त उपकरण/संसाधन	संख्या	लागत
1 फर्नीचर		1.0

सलंग्नक –1

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने वाले विद्यालयों की सूची

(आधार शाला सर्वेक्षण, दूरी एवं कक्षा 5 में नामांकन)

ब्लॉक :– सूरतगढ़

क्र.स.	नाम प्रस्तावित विद्यालय	ग्राम पंचायत का नाम	विधान सभा का क्षेत्र
1	रा.प्रा.वि. गुसाईसर	देईदासपुरा	सूरतगढ़
2	रा.प्रा.वि. हरदासवाली	बीरमाना	सूरतगढ़
3	रा.प्रा.वि. 18 पी एस एम	बीरमाना	सूरतगढ़
4	रा.प्रा.वि. 92.600 आर डी आर	मोकलसर	सूरतगढ़
5	रा.प्रा.वि. सरदारपुरा लाड़ान	पदमपुरा	सूरतगढ़
6	रा.प्रा.वि. गुसाईसर		सूरतगढ़

शेष 6 विद्यालय अगले दो वर्षों में क्रमोन्नत किये जावेंगें ।

ब्लॉक :– श्री करनपुर

क्र.स.	नाम प्रस्तावित विद्यालय	ग्राम पंचायत का नाम	विधान सभा का क्षेत्र
1	रा.प्रा.वि. 3 टी	मलकाना कलां	केसरीसिंहपुर
2	रा.प्रा.वि. 58 एफ	2 एफ.एफ.ए.	श्री करनपुर
3	रा.प्रा.वि. 23 एच	23 एफ दलपत सिंह पुर	श्री करनपुर
4	रा.प्रा.वि. 53 जी जी	52 जी.जी.	श्री करनपुर
5	रा.प्रा.वि. 57 एफ	2 एफ.एफ.ए.	श्री करनपुर
6	रा.प्रा.वि. बडिंगा	बडिंगा	श्री करनपुर

शेष 3 विद्यालय वर्ष 2003–04 में क्रमोन्नत किये जावेंगें ।

ब्लॉक :– रायसिंहनगर

क्र.स.	नाम प्रस्तावित विद्यालय	ग्राम पंचायत का नाम	विधान सभा का क्षेत्र
1	रा.प्रा.वि. 25 आर.बी.	संगराना	रायसिंहनगर
2	रा.प्रा.वि. 74 आर.बी.	फौजूवाला	रायसिंहनगर
3	रा.प्रा.वि. 3 एफ.क्यू	ख्यालीवाला	रायसिंहनगर
4	रा.प्रा.वि. 38 पी.एस.	खाटां	रायसिंहनगर
5	रा.प्रा.वि. 2 एल.सी	2 एल सी	रायसिंहनगर

शेष 9 विद्यालय अगले दो वर्षो में क्रमोन्नत किये जावेंगें ।

ब्लॉक :– विजयनगर

क्र.स.	नाम प्रस्तावित विद्यालय	ग्राम पंचायत का नाम	विधान सभा का क्षेत्र
1	रा.प्रा.वि. 4 जी.बी.	2 जी.बी.	सूरतगढ़
2	रा.प्रा.वि. 12	10 सरकारी	सूरतगढ़
3	रा.प्रा.वि. 9 बी.एल.एम.	6 बी.एल.एम.	सूरतगढ़
4	रा.प्रा.वि. 1 जे.के.एम.	8 बी.जे.डी.	सूरतगढ़
5	रा.प्रा.वि. भागसर	10 ए.एस.	सूरतगढ़
6	रा.प्रा.वि. 3/4 डी.जे.एम.	50 जी.बी.	सूरतगढ़
7	रा.प्रा.वि. मसानीवाला		सूरतगढ़
8	रा.प्रा.वि. 3 के.एच.एम.	रोजड़ी	सूरतगढ़
9	रा.प्रा.वि. 2 पी.एम. ।।	9 पी.एस.डी.	सूरतगढ़

शेष 7 विद्यालय अगले दो वर्षो में क्रमोन्नत किये जावेंगें ।

ब्लॉक :– अनूपगढ़

क्र.स.	नाम प्रस्तावित विद्यालय	ग्राम पंचायत का नाम	विधान सभा का क्षेत्र
1	रा.प्रा.वि. 87 जी.बी.	78 जी.बी.	सूरतगढ़
2	रा.प्रा.वि. 56 जी.बी.	56 जी.बी.	सूरतगढ़
3	रा.प्रा.वि. 16 पी	18 पी	सूरतगढ़
4	रा.प्रा.वि. 9 एस.जे.एम.	7 एस.जे.एम.	सूरतगढ़
5	रा.प्रा.वि. 2 के ए एम	3 एम.डी.	सूरतगढ़
6	रा.प्रा.वि. नं. 1 अनूपगढ़	नगरपालिका अनूपगढ़	सूरतगढ़
7	रा.प्रा.वि. नं. 2 अनूपगढ़	नगरपालिका अनूपगढ़	सूरतगढ़

शेष 5 विद्यालय अगले दो वर्षो में क्रमोन्नत किये जायेगें ।

ब्लॉक :– घड़साना

क्र.स.	नाम प्रस्तावित विद्यालय	ग्राम पंचायत का नाम	विधान सभा का क्षेत्र
1	रा.प्रा.वि. 4 एम.डी.	9 एम.डी.	सूरतगढ़
2	रा.प्रा.वि. 3 डी.डी.	5 डी.डी.	सूरतगढ़
3	रा.प्रा.वि. 27 आर.जे.डी.	22 आर.जे.डी.	सूरतगढ़
4	रा.प्रा.वि. 2 पी.एम.।।	9 पी.एस.डी.	सूरतगढ़
5	रा.प्रा.वि. 2 एस.टी.वाये	5 एम.एल.डी.	सूरतगढ़
6	रा.प्रा.वि. वार्ड नं. 5 रावला	रावला	सूरतगढ़

शेष 6 विद्यालय अगले दो वर्षो में क्रमोन्नत किये जायेगें ।

सलग्नक – 2

वैकल्पिक विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति

आधार नामांकन एवं ठहराव

ब्लॉक :– सूरतगढ़

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	क्रमोन्नत किये जाने वाले वैकल्पिक विद्यालय
1	सूरतगढ़	21
2	अनूपगढ़	20
3	घड़साना	30
4	श्री बिजयनगर	15
5	श्री करनपुर	3
6	सादुलशहर	3
7	रायसिंहनगर	5
8	पदमपुर	1
9	श्री गंगानगर	3

सलग्नक – 3

प्रस्तावित पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र

आधार जनसंख्या एवं आई.सी.डी.एस. केन्द्रों की अनुपलब्धता

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	प्रस्तावित संख्या
1	सूरतगढ़	50
2	अनूपगढ़	50
3	घड़साना	50
4	श्री बिजयनगर	50
5	श्री करनपुर	75
6	सादुलशहर	75
7	रायसिंहनगर	50
8	पदमपुर	50
9	श्री गंगानगर	50

सलग्नक – 4

कम्पयूटर शिक्षा के लिए प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

आधार छात्र संख्या, ग्राम पंचायत मुख्यालय, बिजली सुविधा एवं पर्याप्त भवन की उपलब्धता

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	प्रस्तावित संख्या
1	सूरतगढ़	8
2	अनूपगढ़	8
3	घड़साना	8
4	श्री बिजयनगर	8
5	श्री करनपुर	8
6	सादुलशहर	8
7	रायसिंहनगर	8
8	पदमपुर	8
9	श्री गंगानगर	8

सलग्नक – 5

आवासीय ब्रिज कोर्स शिविरों की सूची

(आधार 9 वर्ष से बड़ी अनामांकित/ड्राप आउट बालिकाओं की संख्या)

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	प्रस्तावित संख्या
1	सूरतगढ़	4
2	अनूपगढ़	4
3	घड़साना	4
4	श्री बिजयनगर	4
5	श्री करनपुर	5
6	सादुलशहर	4
7	रायसिंहनगर	4
8	पदमपुर	3
9	श्री गंगानगर	4

सलग्नक – 6

उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रस्तावित विद्यालयों की सूची

(आधार न्यून परीक्षा परिणाम/छात्र संख्या/गुणात्मक दृष्टि से न्यून परीक्षा परिणाम)

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	प्रस्तावित संख्या
1	सूरतगढ़	4
2	अनूपगढ़	4
3	घड़साना	4
4	श्री बिजयनगर	4
5	श्री करनपुर	5
6	सादुलशहर	4
7	रायसिंहनगर	4
8	पदमपुर	3
9	श्री गंगानगर	4

ADDITIONAL PARA TEACHERS & CLASSROOMS

DISTRICT

YEAR	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-010
No. of childern 6-11 age group	231737	238117	244672	251408	258329	265441	272749	280257
No. of childern 11-14 age group	142240	146166	150179	154314	158562	162927	167413	172022
No. of childern 6-14 age group	373977	384273	394851	405722	416891	428368	440162	452279
Enrolment in I To VIII class	393439	403276	413357	423691	434283	445140	456269	467675
Enrolment in AS/EGS	18499	12859	8899	6059	3219			
Enrolment in Private school	133168	137330	141216	145213	149322			
Enrolment in Govt school	241772	253086	263241.8	272418.8	281742			
No. Teacher 1:40	6044	6327	6581	6810	7044			
Post Sanctioned	5926							
No.of additional teacher required	118	283	254	229	233			
No of classrooms required		283	254	229	233			

Status Schools & Upgradition

DISTRICT

Year	Position of Schools						Upgadation		Position after upgradition					
	PS	UPS	RGSJP	SKS	AS 6Hours	Total	PS	UPS	PS	UPS	RGSJP	SKS	AS 6Hours	Total
2002-03	1122	435	354	28	161	2100		28	1094	463	369	28	180	2134
2003-04	1094	463	369	28	180	2134	141	47	1188	510	228	28	180	2134
2004-05	1188	510	228	28	180	2134	99	56	1231	566	157	0	180	2134
2005-06	1231	566	157	0	180	2134	71	33	1269	599	86	0	180	2134
2006-07	1269	599	86	0	180	2134	266	24	1511	623	0	0	0	2134
2007-08	1511	623	0	0	0	2134		89	1423	711				2134
2008-09	1423	711	0	0	0	2134		0	1423	711				2134
2009-10	1423	711	0	0	0	2134		0	1423	711				2134
								0	0	0				0

PHYSICAL NUMBERS

DISTRICT

S.N.	NAME OF ACTIVITIES	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	200910
1	Additional Teachers	183	154	129	133			
3	Enrolment in RGSJP	12859	8899	6059	3219			
4	Upgraditation of PS to UPS	47	56	33	24			
5	Additional Class Room in PS							
6	Additional Class Room in UPS	300	300	300	352			
7	HM Room in UPS	75	75	75	75			
8	SC/ST Boys in UPS	10000	11000	12000	13000			
9	Construction of School Building (Five Rooms)	25	25	25	24			
10	Construction of School Building (Three Rooms)	47	56	33	24			
11	Toilets	200	300	500	548			
12	Handpump/ Tanka							
13	PHED Connections		100	100	269			
14	Ramps		150	150	150			
15	Construction of BRC							
16	Construction of CRC							
17	Boundary Wall	1	1	1	1			
18	Minor Repairs	50	100	278	50			
19	Major Repairs	50	200	173	50			
20	Provision of Play Elements to School	225	300	300	300			
21	Primary School	1188	1231	1269	1511			
22	Upper Primary School	510	566	599	623			
23	Sanskrit/ others School	170	170	170	170			
24	Upgradation of EGS/AS to Primary School	141	99	71	266			
25	Upper Primary School (None Covered in OBB)							
26	Teachers in Primary School	2961	3258	3471	4269			
27	Teachers in Upper Primary School	1825	2049	2181	2277			
28	Teachers in Sanskrit School	420	420	420	420			
29	No of SMC	1950	2049	2120	2386			
30	No. of Disabled Children	2078	2078	2078	2078			
31	No. of Blocks	9	9	9	9			
32	No .of Clusters	150	150	150	150			
33	**Interventions for Out of School Children**							
34	No. of Children in Upper Primary School	1200	1200	1200	1200			
35	Enrollment Under AIE	200	200	200	200			
36	Enrollment Under NGO	1000	1000	1000	1000			
37	Education for Migratory Children	300	300	300	300			
38	Education for Working Children	200	200	200	200			
39	Bridge Course Residential (20 Children 3 Month)	36	36	36	36			
40	Bridge Course Non Residential (20 Children 3 Month)	36	36	36	36			
41	No. of Village	2739	2739	2739	2739			
42	No. of Panchayat	320	320	320	320			

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	**Honorarium of Additional Para Teacher**												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
2		**Education Gurantee Scheme(EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	16304	137.7688	13999	118.29155	11579	97.84255	9038	76.3711	50920	430.274
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**												
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	46	23	38	19	13	6.5	22	11	119	59.500
	3.2	Salary of Head Master in Ist Year	Number	0.9	46	41.4	38	34.2	13	11.7	22	19.8	119	107.100
		Salary of Head Master in Next Year	Number	1.2	29	34.8	75	90	113	135.6	126	151.2	343	411.600
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	46	28.98	38	23.94	13	8.19	22	13.86	119	74.970
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	58	48.72	179	150.36	301	252.84	365	306.6	903	758.520
4		**Class Room**												
	4.1	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	80	96	150	180	200	240	200	240	630	756.000
	4.2	HM Room in UPS	Room	0.5	50	25	75	37.5	75	37.5	100	50	300	150.000
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	10000	10	10300	10.3	10600	10.6	10900	10.9	41800	41.800
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Five Rooms)	Number	2.56	10	25.6	10	25.6	10	25.6	15	38.4	45	115.200
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	29	104.4	46	165.6	38	136.8	13	46.8	126	453.600
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10	200	20	250	25	350	35	900	90.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	22	4.4	30	6	40	8	50	10	142	28.400
	6.6	Ramps	Number	0.2	50	10	100	20	100	20	100	20	350	70.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50	1	50	1	50	1	50	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	40	5	80	10	100	12.5	100	12.5	320	40.000
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	40	10	75	18.75	75	18.75	75	18.75	265	66.250
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.5	100	25	200	50	200	50	550	137.500
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	1119	55.95	1112	55.6	1113	55.65	1167	58.35	4511	225.550
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	453	22.65	499	24.95	537	26.85	550	27.5	2039	101.950
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**												
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	39	3.9	39	3.9	67	6.7	39	3.9	184	18.400
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	39	24.57	39	24.57	67	42.21	39	24.57	184	115.920
		Teacher Salary in Next Year	Number	0.84			39	32.76	78	65.52	145	121.8	262	220.080
	8.3	Honorarium of Para Teacher (2)												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	39	5.265	39	5.265	67	9.045	39	5.265	184	24.840
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0	39	7.956	39	7.956	67	13.668	145	29.580
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0	0	0	39	8.892	39	8.892	78	17.784
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0		0	0	0	39	9.828	39	9.828
10		**School Grant**												
	10.1	Primary School	Number	0.02	1119		1112		1113	22.26	1167	23.34	4511	45.600
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	453	9.06	499	9.98	537	10.74	550	11	2039	40.780
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2904		2982		3116	15.58	3194	15.97	12196	31.550
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	3340	16.7	3491	17.455	3601	18.005	3696	18.48	14128	70.640
12		**Teachers Training**												
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	2865		2904		2971		3010		11750	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	3340		3491	48.874	3601	50.414	3696	51.744	14128	151.032
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0	315	13.23	0	0	0	0	315	13.230
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	39	0.819	78	1.638	145	3.045	184	3.864	446	9.366
14		**Training for Community Leaders**												

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

ISTRCT

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	3624	2.1744	3992	2.3952	4296	2.5776	4400	2.64	16312	9.787
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	392	4.704	392	4.704	1714	20.568	1714	20.568	4212	50.544
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	1119	15.666	1112	15.568	1113	15.582	1167	16.338	4511	63.154
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	453		499	6.986	537	7.518	550	7.7	2039	22.204
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0	1	1.2	1	2.4	1	2.4	3	6.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04		0	4	4.08	4	8.16	4	8.16	12	20.400
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44		0	3	2.16	3	4.32	3	4.32	9	10.800
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		0	1	0.9	1	1.8	1	1.8	3	4.500
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0	1	0.84	1	1.68	1	1.68	3	4.200
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		0	1	0.6	1	1.2	1	1.2	3	3.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.84	1	0.84	1	0.84	1	0.84	4	3.360
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0	1	0.3	1	0.6	1	0.6	3	1.500
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48		0	4	0.96		0		0	4	0.960
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306		0	3	0.459	3	0.918	3	0.918	9	2.295
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0	1	0.153	1	0.306	1	0.306	3	0.765
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3	2	3	2	3	2	3	8	12.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.5		0		0		0	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0	5	4.2	5	4.2	5	4.2	15	12.600
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1		0		0		0	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	5	1	5	1	5	1	5	4	20.000
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	4	6.000
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.1		0		0		0	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.84	1	0.84	1	0.84	1	0.84	4	3.360
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	4	0.800
	17.3	***BRCF Office***												
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0	9	8.82	9	17.64	9	17.64	27	44.100
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44		0	27	19.44	27	38.88	27	38.88	81	97.200
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44		0	9	6.48	9	12.96	9	12.96	27	32.400
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	9	9.72	9	9.72	9	9.72	9	9.72	36	38.880
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	9	5.4	9	5.4	9	5.4	9	5.4	36	21.600
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	9	4.32	9	4.32	9	4.32	9	4.32	36	17.280
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0	9	1.377	9	2.754	9	2.754	27	6.885
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***				0								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	7	5.95		0		0		0	7	5.950
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	7	0.84	7	0.84	7	0.84	7	0.84	28	3.360
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	7	0.7	7	0.7	7	0.7	7	0.7	28	2.800
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	7	5.88	7	5.88	7	5.88	7	5.88	28	23.520
	17.5	***CRCF Office***										0		
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0	150	90	150	180	150	90	450	360.0
18		**Innovation**	Districts	50	1	50	1	50	1	50	1	50	4	200.0
19	19.1	**Block Resource Center**												
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1		0		0		0		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	9	1.125	9	1.125	9	1.125	9	1.125	36	4.500
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	9	0.54	9	0.54	9	0.54	9	0.540	36	2.160
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	9	0.45	9	0.45	9	0.45	9	0.450	36	1.800

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

ISTRCT

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	19.2	**Cluster Resource Center**												
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1		0		0		0		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	150	3.75	150	3.75	150	3.75	150	3.750	600	15.000
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	150	3.6	150	3.6	150	3.6	150	3.600	600	14.400
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	150	1.5	150	1.5	150	1.5	150	1.500	600	6.000
20		**Interventions for Out of School Children**												
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	1000	8.45	800	6.76	600	5.07	500	4.225	2900	24.505
21		**Community Mobilisation**												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	Village	0.01	1572	15.72	1611	16.11	0	0	0	0.000	3183	31.830
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.200	4	0.800
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	320	6.4	320	6.4	320	6.4	320	6.400	1280	25.600
		Grand Total				**978.552**		**1551.017**		**1925.228**		**1904.446**		**6359.243**
		Total of Civil work				**352.9**		**558.45**		**624.15**		**571.45**		**2106.950**
		% of Civil works				36.06		36.01		32.42		30.01		33.1
		Total of Management				47.79		180.209		316.058		226.058		770.1
		% of Management				4.88		11.62		16.42		11.87		12.1

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRCT: S GANGANAGAR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	16304	137.769		0.000	16304	137.769
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	46	23.000	29	14.500	75	37.500
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	46	41.400		0.000	46	41.400
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	29	34.800		0.000	29	34.800
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	46	28.980		0.000	46	28.980
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	58	48.720		0.000	58	48.720
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	80	96.000	113	135.600	193	231.600
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	50	25.000		0.000	50	25.000
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	10000	10.000		0.000	10000	10.000
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	10	25.600		0.000	10	25.600
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	29	104.400		0.000	29	104.400
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000	137	13.700	237	23.700
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	22	4.400		0.000	22	4.400
	6.6	Ramps	Number	0.2	50	10.000		0.000	50	10.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	40	5.000		0.000	40	5.000
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	40	10.000		0.000	40	10.000
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500		0.000	50	12.500
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	1119	55.950		0.000	1119	55.950
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	453	22.650		0.000	453	22.650
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	39	3.900		0.000	39	3.900
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	39	24.570		0.000	39	24.570
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	39	5.265		0.000	39	5.265
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10		**School Grant**								
	10.1	Primary School	Number	0.02	1119	0.000		0.000	1119	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	453	9.060		0.000	453	9.060
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2904	0.000			2904	0.000

DISTRCT: S GANGANAGAR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	3340	16.700		0.000	3340	16.700
12		**Teachers Training**								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	2865	0.000			2865	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	3340	0.000	1712	23.968	5052	23.968
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	39	0.819		0.000	39	0.819
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	3624	2.174		0.000	3624	2.174
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	392	4.704		0.000	392	4.704
16		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	1119	15.666		0.000	1119	15.666
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	453	0.000	512	7.168	965	7.168
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expandlture	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRCT: S GANGANAGAR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	***BRCF Office***								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	9	9.720		0.000	9	9.720
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	9	5.400		0.000	9	5.400
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	9	4.320		0.000	9	4.320
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	7	5.950		0.000	7	5.950
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	7	0.840		0.000	7	0.840
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	7	0.700		0.000	7	0.700
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	7	5.880		0.000	7	5.880
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	19.1	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	9	1.125		0.000	9	1.125
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	9	0.540		0.000	9	0.540
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	9	0.450		0.000	9	0.450
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	150	3.750		0.000	150	3.750
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	150	3.600		0.000	150	3.600
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	150	1.500		0.000	150	1.500
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	1000	8.450		0.000	1000	8.450
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	1572	15.720		0.000	1572	15.720
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	320	6.400		0.000	320	6.400
		Grand Total				**978.552**		**194.936**		**1173.488**
		Total of Civil work				352.900		149.300		502.200
		% of Civil works				36.06		76.59		42.80
		Total of Management				28.350		0.000		28.350
		% of Management				2.90		0.00		2.42

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	**Honorarium of Additional Para Teacher**												
		Ist Year	Number	0.18										
		IInd Year	Number	0.204										
		IIIrd Year	Number	0.228										
		IVth Year	Number	0.252										
2		**Education Gurantee Scheme(EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**												
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3.2	Salary of Head Master in Ist Year	Number	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Salary of Head Master in Next Year	Number	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4		**Class Room**												
	4.1	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4.2	HM Room in UPS	Room	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Five Rooms)	Number	2.56	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6.3	Toilets	Number	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5										
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6.6	Ramps	Number	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6.7	Construction of BRC	Number	6										
	6.8	Construction of CRC	Number	2										
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**												
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Teacher Salary in Next Year	Number	0.84			*	*	*	*	*	*	*	*
	8.3	Honorarium of Para Teacher (2)												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204			*	*	*	*	*	*	*	*
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228					*	*	*	*	*	*
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252							*	*	*	*
10		**School Grant**												
	10.1	Primary School	Number	0.02	*		*		*	*	*	*	*	*
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	*		*		*	*	*	*	*	*
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12		**Teachers Training**												
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	*				*		*		*	*
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	*		*	*	*	*	*	*	*	*
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14		**Training for Community Leaders**												

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

ISTRCT

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16		**Research, Evaliuation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48			*	*					*	*
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	*	*							*	*
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	*	*							*	*
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	*	*							*	*
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	17.3	***BRCF Office***												
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306			*	*	*	*	*	*	*	*
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***												
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	*	*							*	*
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	17.5	***CRCF Office***												
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2			*	*	*	*	*	*	*	*
18		**Innovation**	Districts	50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	19.1	**Block Resource Center**												
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1										
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ISTRCT

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	19.2	**Cluster Resource Center**												
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1										
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20		**Interventions for Out of School Children**												
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21		**Community Mobilisation**												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	Village	0.01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

LIBRARY & DOCUMENTATION UNIT
National Institute of Educational Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No